



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233730
CG-DL-E-25022022-233730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943

No. 60]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

मामला सं. एडीडी (ओआई)-45/2020

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एन, एन”- डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड (डी सी सी)” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (मैटिरियल-रिटार्डेशन)।

फा. सं. 06/53/2020- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. मैसर्स क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पहले क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात (इसके बाद इसे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” अथवा “डी आई” के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे संबद्ध देश के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एन, एन”- डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड (डी सी सी)” (इसके बाद इसे “संबद्ध वस्तुएं” अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा “पी यू सी” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मैटिरियल रिटार्डेशन के

कारण का उल्लेख करते हुए पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इन्हें “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पृथक् दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना फाइल सं. 06/53/2020- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की मैटिरियल रिटार्डेशन के रूप में कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई है।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में एक जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 25 फरवरी, 2021 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को, आवेदक द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास तथा ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदक के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी यह अनुरोध किया गया कि वे अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को यह परामर्श दें कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी दूतावास को भेजी गई और साथ में संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें अपने अनुरोधों से अवगत कराने के लिए एक अवसर प्रदान किया :
 - i. शानडोंग हुईहाई फार्मास्युटिकल एंड कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. झानहुआ जियाशी कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iii. जिबो तियातांगशान कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iv. झेजियांग तियानयु फार्मास्युटिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - v. झिजियांग दा जियांग रन यांग कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - vi. फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड
- छ. संबद्ध जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है :
 - i. शानडोंग हुईहाई फार्मास्युटिकल एंड कैमिकल कंपनी लिमिटेड

- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी :
- अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड
 - दसामी लैब प्राइवेट लिमिटेड
 - श्रीनी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ऑनर लैब
 - एमएसएन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 - इंडस्विफ्ट
 - आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - एसएमएस लाइफसाइंस
- झ. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने और उत्तर या टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के संबंध में, निम्नलिखित एसोसिएशनों को अपने सभी सदस्यों को सूचित करने के लिए कहते हुए जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी :
- इंडियन कैमिकल काउंसिल (आईसीसी)
 - फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
 - एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम)
 - भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- ञ. प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में किसी भी आयातक और प्रयोक्ताओं अथवा एसोसिएशन ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ट. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित की गई जांच की अवधि (पोओआई) दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 तक (6 माह) की है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 माह) मानी है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए सौदा-वार आयात के आंकड़ों को डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किया गया था। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ड. आवेदक से आवश्यकता के अनुसार आगे की सूचना की मांग की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार किया गया था।
- ढ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और साथ में उनमें से सभी से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करे क्योंकि वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से उन्हें सुलभ नहीं थी।
- ण. घरेलू उद्योग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमरणित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई पहली वर्ष की परियोजना रिपोर्ट के साथ पठित, उपलब्ध वास्तविक

आंकड़ों/ सूचना के आधार पर गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है। प्राधिकारी ने उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों और पहले वर्ष की परियोजना रिपोर्ट की तुलना के आधार पर एनआईपी की गणना की है। जांच की अवधि के दौरान चार तिमाहियों से प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता के आधार पर जांच की अवधि की पहले वर्ष की परियोजना रिपोर्ट, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार और सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और संबद्ध वस्तुओं के निर्माण व बिक्री की लागत की तुलना करके उन्हें अनुकूल बनाया गया था। ***% पर वास्तविक सक्षम संयंत्र क्षमता के साथ ऐसी गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई मैटिरियल रिटार्डेशन क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- त. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया ताकि वे दिनांक 20 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिए लिखित अनुरोध दाखिल करने और उसके बाद रिज्वाइंडर अनुरोध दाखिल करने का परामर्श दिया गया था।
- थ. इस जांच में उन अनिवार्य तथ्यों जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनते, से युक्त एक प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, जहां तक यह साक्ष्य के साथ है और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई है, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उस पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- ध. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना के सही होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया है, जो यथासंभव इन जांच परिणामों का आधार हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/ दस्तावेजों की, संगतता के अनुसार और यथा संभव पुष्टि की है।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना के गोपनीय होने पर विचार किया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।
- प. जहां कहीं भी एक हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना को सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों को दर्ज किया है।
- फ. *** अंतिम जांच परिणाम के अगोपनीय रूपांतर में एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- ब. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.86 रु. है।
- ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. जांच शुरू किए जाने की अवस्था में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था :

“3 वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड जिसे एन, एन - डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, डीसीसी

तथा 1, 3,- डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड (डी सी सी) के नाम से भी जाना जाता है। डी सी सी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी6एच11एन) 2सी है। यह एक हल्के पीले रंग का रंगहीन पदार्थ है जो तरल रूप में या अर्ध ठोस रूप में होता है और उसमें एक मीठी महक होती है। इसका प्राथमिक उपयोग कृत्रिम पैपटाइड सिंथेसिस के दौरान अमीनो अम्ल को जोड़ना है। इस सामग्री का कम गलनांक इसे आसानी से संभालने हेतु पिघलने देता है। यह डाइक्लोरोमिथेन टेट्राहाइड्रोफुरान, एसीटोनाइट्राइल और डाईमिथाइलफोर्माइड में तेजी से घुलता है परंतु जल में नहीं घुलता है और संबद्ध वस्तु के लिए कैमिकल एबस्ट्रक्ट्स सर्विस (सीएएस) पंजीकरण सं. 538-75-0 है।”

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
 - क. विचाराधीन उत्पाद मुख्यतः अमिकासीन, ग्लूटाथियोन डिहाइड्रेंट में और एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, आइसोसाइनेट सिंथेसिस में प्रयोग में लाया जाता है।
 - ख. इसका प्रयोग पेप्टाइड और न्यूक्लेइक सिंथेसिस में किया जाता है। यह वालालिक्लोविर और अमिकासिन जैसी वायरस रोधी दवाओं में एक प्रमुख कच्ची सामग्री है।
 - ग. आवेदक द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद के समान उत्पाद है।
 - घ. घरेलू उद्योग का संयंत्र लगाए जाने से पहले, विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं था और विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र घरेलू मांग आयातकों द्वारा पूरी की जाती है।
 - ड. विचाराधीन उत्पाद की उच्च कीमतों पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग ने कमतर कीमत पर बेचने के लिए उत्पाद का उत्पादन करना शुरू किया।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, जिसे एन, एन- डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड, डी सी सी तथा 1, 3 - डाइसाक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड (डी सी सी) के नाम से भी जाना जाता है, है। डी सी सी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी6एच11एन) 2सी है। यह एक हल्के पीले रंग का रंगहीन पदार्थ है जो तरल रूप में या अर्ध ठोस रूप में होता है और उसमें एक मीठी महक होती है। इसका प्राथमिक उपयोग कृत्रिम पैपटाइड सिंथेसिस के दौरान अमीनो अम्ल को जोड़ना है। इस सामग्री का कम गलनांक इसे आसानी से संभालने हेतु पिघलने देता है। यह डाइक्लोरोमिथेन टेट्राहाइड्रोफुरान, एसीटोनाइट्राइल और डाईमिथाइलफोर्माइड में तेजी से घुलता है परंतु जल में नहीं घुलता है और संबद्ध वस्तु के लिए कैमिकल एबस्ट्रक्ट्स सर्विस (सीएएस) पंजीकरण सं. 538-75-0 है।
9. यह उत्पाद मुख्यतः अमिकासिन, ग्लूटाथियोन डिहाइड्रेंट और एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन और आइसोसाइनेट सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पेप्टाइड, एस्टर, ईथर, नाइट्राइल आदि में भी किया जाता है। यह वालालिक्लोविर और अमिकासिन जैसी वायरल रोधी दवाओं में प्रमुख एक कच्ची सामग्री है। डी सी सी का व्यापक प्रयोग, स्वास्थ्य, मेक अप और बायोलोजिकल उत्पादों में किया जाता है।
10. विचाराधीन उत्पाद को 29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990 और 29419090 जैसे विभिन्न सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को कई अन्य आई टी सी (एस एस) कोडों के तहत भी आयात किया जाता रहा है। प्राधिकारी ने इस प्रकार के सभी आई टी सी (एस एस) कोडों पर विचार किया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है।
11. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि आवेदक देश में विचाराधीन उत्पाद का पहला उत्पादक है और आवेदक के उत्पादन से पूर्व विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग आयातों से पूरी की जा रही थी और उसमें से अधिकांश मांग

संबद्ध देश से आई। देश में अन्य कोई विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है और वर्तमान आवेदन एक उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच के लिए दाखिल किया जा रहा है।

12. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता कार्यों अथवा अंतिम उपभोक्ताओं में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें पाटनरोधी नियमावली के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' मानी जा रही हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. आवेदक ने नवंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की थी लेकिन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन केवल जनवरी, 2020 में शुरू हुआ।
- ख. आवेदक से पहले, भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं था और संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग अन्य देशों से आए आयात से पूरी की जाती थी।
- ग. आवेदक, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का पहला और एकमात्र उत्पादक है, अतः संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में उसका 100% हिस्सा है।
- घ. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

"(ख) प्रकार से परिभाषित किया गया है।8 is given belown elhi

be madeom Udyog Bhawav to CGO Complex, Lodhi Road

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. वर्तमान जांच, भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (विगत में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) द्वारा दाखिल की गई एक याचिका के अनुसरण में शुरू की गई है। याचिकाकर्ता ने नवंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की थी। तथापि, इसने वास्तव में जनवरी, 2020 में उत्पादन शुरू किया।
17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच, एक उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच के लिए दाखिल की जा रही है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग शुरुआती व्यवस्था में हैं और इसने अभी बाजार में अपने आपको स्थापित करना है। जैसा कि आवेदक द्वारा दर्शाया गया है, भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ही संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इसीलिए, उसके पास संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है। वर्तमान आवेदक किसी समर्थन में और विरोध में भी कोई नहीं है। प्रतिवादी ने भी आवेदक के इस दावे का विरोध नहीं किया है कि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का

एकमात्र उत्पादक है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अनुसार आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है :

- क. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को अपना मामला पर्याप्त रूप से उठाने की आवश्यकता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने लागत संबंधी सूचना के बारे में अपने आवेदन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग. याचिका के अगोपनीय पाठ में हितबद्ध पक्षकारों को बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुमति नहीं है।
- घ. खंड- VI- घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई लागत संबंधी सूचना में ऐसी कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ड. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि वार्षिक रिपोर्ट और तुलन पत्र *कारोबारी प्रवृत्ति की सूचना है न कि सारांशीकरण के लिए है* तथापि, यह अनुरोध किया गया था कि वार्षिक रिपोर्ट और तुलन पत्र वार्षिक आय से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष दाखिल किए जाते हैं और ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
- च. याचिकाकर्ता के दावे के प्रतिकूल, प्रतिवादी ने कोई वर्ष-वार छूट प्रदान नहीं की है और इसीलिए, निर्यातक द्वारा दाखिल की गई सूचना अपर्याप्त नहीं है।
- छ. उत्पादक ने समस्त आवश्यक सूचना गोपनीय और अगोपनीय दोनों पाठों में प्रदान की है और इसीलिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा गलत है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. यह दावा कि याचिकाकर्ता ने संगत व्यापार सूचना के तहत यथा अपेक्षित सूचना दाखिल नहीं की है, गलत है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ख. लागत से संबंधी फॉर्मेट में शामिल सूचना कारोबारी तौर पर संवेदनशील सूचना है, जिसे पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता। तथापि, घरेलू उद्योग ने उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया है।
- ग. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत वित्तीय विवरण और व्यापार उपचार जांचों के लिए प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित सूचना समान नहीं है। प्राधिकारी को अधिक विस्तृत वित्तीय विवरणों की जरूरत होती है।
- घ. निर्यातक ने सामग्री की सूचना को छिपाया है और गलत दावा किया है कि उसे कोई छूट नहीं मिली थी।
- ड. उत्पादक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसने कॉरपोरेट संरचना और शेयरधारिता पद्धति के संबंध में सूचना प्रकट नहीं है जो कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
- च. उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के निर्यात/ आयात की मात्रा और मूल्य के बारे में सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 6 (7) के तहत प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाठनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत यह प्रावधान है :

“7. गोपनीय सूचना :

(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, गोपनीयता के दावे को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर आवेदन की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अन्य हितबद्ध के लिए संशोधित एनसीवी फार्मेट-एच परिचालित किया गया था।
23. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और साथ में सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ईमेल करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वास्तविक रूप में सुलभ नहीं थी।

च. विविध मामले

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच अपर्याप्त तथ्यों के साथ शुरू की है और जांच शुरू करने के लिए गलत आकलन किया है।
- ख. कानून के समग्र प्रावधानों के अनुसार अपेक्षा यह है कि प्राधिकारी को पर्याप्त सूचना के पर्याप्त होने के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।
- ग. जांच शुरूआत करने की अधिसूचना यह दर्शाती है कि प्राधिकारी 'पर्याप्त' साक्ष्य की बजाय 'प्रथम दृष्टया' साक्ष्य की मौजूदगी से संतुष्ट थे। एक जांच को शुरू करने के लिए यह कथित गलत आधार है।
- घ. प्राधिकारी को आवेदन में प्रदान की गई सूचना के पर्याप्त और सही होने का यह आकलन करना अपेक्षित होता है कि प्रदान की गई सूचना पर्याप्त है।
- ड. डब्ल्यूटीओ अपील निकाय की रिपोर्टों पर भरोसा किया गया था जिसके लिए तर्क यह है कि आवेदक इस जांच को शुरू करने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है।
- च. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाते हैं तो इससे घरेलू बाजार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का अन्य कोई उत्पादक नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तुओं का पहला और एकमात्र उत्पादन करने वाला उद्योग है।
- ख. घरेलू उद्योग ने नवंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की थी, लेकिन केवल जनवरी, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।
- ग. बाजार में घरेलू उद्योग के प्रवेश से पूर्व, चीन से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की कीमत 1,117 रु. प्रति कि. ग्रा. थी। तथापि, घरेलू उद्योग का संयंत्र स्थापित होने के बाद आयातित वस्तुओं की कीमत में भारी कमी हुई है।
- घ. यह स्पष्ट संकेत है कि उत्पादक बहुत ही सस्ती कीमत लगा रहे हैं और उनका इरादा घरेलू उद्योग को बाजार से बाहर करने का है।
- ङ. घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग को पूरा करने की स्थिति में हैं।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की कीमत ऐसी कीमत से काफी अधिक है, जिस पर संबद्ध वस्तुएं देश के भीतर बेची गई हैं।
- छ. प्राधिकारी को आवेदन में प्रदान की गई सूचना के केवल सही होने का निर्धारण करना होता है न कि जांच शुरू करने से पूर्व एक विस्तृत जांच करना अपेक्षित होता है।
- ज. घरेलू उद्योग ने ट्रिब्यूनल के आदेशों पर भरोसा किया है, जिसके लिए तर्क यह है कि प्राधिकारी को कोई जांच शुरू करने से पूर्व एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने से पूर्व संबद्ध वस्तुओं के आयातकों द्वारा एकाधिकार की कीमतें ली जा रही थी।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक उद्योग की स्थापना के मैटिरियल रिटार्डेशन के संबंध में है। अतः प्राधिकारी को उसी आधार पर क्षति विश्लेषण करना होगा। प्राधिकारी यह आकलन करेंगे कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित हो चुका है अथवा नहीं।
27. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि आयातित संबद्ध वस्तुओं की कीमतें उसके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने के बाद कम हो गई हैं, प्राधिकारी ने उसकी जांच की और एक विस्तृत क्षति विश्लेषण किया है।
28. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच 'प्रथम दृष्टया' साक्ष्य के आधार पर शुरू की है, न कि 'पर्याप्त साक्ष्य' के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच शुरू किए जाने से पूर्व, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए आवेदन की एक प्रथम दृष्टया जांच की और प्राधिकारी को प्रदान की गई सूचना/साक्ष्य के पर्याप्त होने के लिए संतुष्ट होने के बाद, उसने जांच शुरू करने का निर्णय किया। जांच शुरू करने की अधिसूचना का संगत भाग इस प्रकार है :

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी/ क्षति और कथित पाटन और वास्तविक मंदी/ क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक मंदी/ क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं।

29. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में 'पर्याप्त साक्ष्य' की बजाय केवल 'प्रथम दृष्टया' शब्दों का प्रयोग देने से, जैसा कि उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दावा किया गया है, प्राधिकारी के आवेदन का आकलन करने के परिणाम से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्पादक के इस तर्क का कोई आधार नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल यह दावा करने के अलावा, कि एक 'प्रथम दृष्टया' संतुष्टि और 'पर्याप्त' अपेक्षा समान नहीं है, उत्पादक/ निर्यातक ने ऐसे किसी तरीके का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करने का प्रस्ताव करने में चूकी की। न ही निर्यातक/ उत्पादक ने घरेलू उद्योग के आवेदन में दोष/ कमियों का उल्लेख किया है, जिनके कारण इसे अस्वीकार किया जा सके। अतः निर्यातक/ उत्पादक का यह दावा बिना किसी आधार के है।
30. जांच शुरू करने की अधिसूचना में 'प्रथम दृष्टया' शब्द का प्रयोग किए जाने के बावजूद, प्राधिकारी यह बात दोहराते हैं कि उसने कानून और संगत न्यायिक आदेशों में निहित सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन करने के बाद वर्तमान जांच शुरू की थी।
31. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए एक एकाधिकार की स्थिति होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार में प्रवेश किए जाने से पूर्व संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई भारतीय निर्माता नहीं थे। संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग की पूर्ति अधिकांशतः संबद्ध देश से आयातों के द्वारा हो रही थी। अतः संबद्ध देश से आयातकों को प्रायः घरेलू उद्योग के बाजार में प्रवेश करने पूर्व संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में एकाधिकार रहा था।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

32. अधिनियम की धारा 9क (1) ग के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है कि :

“(ग) किसी वस्तु के संबंध में “सामान्य मूल्य” से तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में निर्दिष्ट करना, लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं है।
- ख. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 में संगत प्रावधान, जो चीन जन. गण. को एक एनएमई के रूप में मानने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, दिनांक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में कोई प्रावधान प्रचलन में नहीं, जो प्राधिकारी को किसी जांच में एक एनएमई के रूप में मानते हैं।

- ग. चीन को यूएस और ईयू द्वारा एक बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है।
- घ. यहां तक कि यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि चीन इस जांच के प्रयोजन के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में तीसरी पद्धति (अर्थात् किसी अन्य तर्क संगत आधार पर) के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना के लिए सीधे प्रयोग नहीं कर सकते।
- ङ. संधि व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की एक उचित तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए।
- च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा सिद्ध करने के लिए एक अनुपूरक प्रश्नावली जारी करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के खिलाफ है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार एक एनएमई के रूप में माना गया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 7 के अनुबंध-1 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ख. नियमावली 7 के अनुबंध-1 के पैरा 8 में प्राधिकारी के लिए यह मानने के लिए कोई विकल्प नहीं है कि चीन एक एनएमई है, जब तक कि निर्यातक उसे अन्यथा सिद्ध न कर दें। अतः चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 (क) (ii) के समाप्त होने के बावजूद, प्राधिकारी पैरा 8 द्वारा यह मानने के लिए बाध्य हैं कि चीन एक एनएमई है।
- ग. बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति धारा 15 (क) (i) के समाप्त होने पर स्वतः नहीं है, बल्कि इसकी बजाय उसके लिए एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 के अन्य प्रावधानों के साथ चीन की अनुपालना अपेक्षित होगी।
- घ. निर्यातक का बाजार अर्थव्यवस्था दावा स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप हैं, जिनके तहत चीन की गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा गया है।
- ङ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक मापदंड के संबंध में परीक्षण पास न कर लें।
- च. चीन से उत्पादकों का बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को कई हाल की जांचों में इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।
- छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह स्थापित न कर दें कि प्रमुख इनपुट की कीमतें बाजार के मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाती हैं।
- ज. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार को अस्वीकार किया जाना चाहिए, यदि चीन निर्यातक यह स्थापित करने में असमर्थ हैं कि उनके खाते अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- झ. यह प्राधिकारी के लिए नहीं है कि वे यह प्रमाणित करें कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था परिवेश में प्रचालन कर रही हैं। लेकिन यह चीन के प्रतिवादी निर्यातकों पर है कि वे यह स्थापित करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन कर रही हैं।
- ञ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसके समूह मिलकर दावा न करें। यदि समूह की एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दाखिल नहीं किए हैं, तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए दावा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- ट. अतः चीन में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें डीजीटीआर की सतत प्रक्रिया के अनुसार बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ सहित व्यय का विधिवत समायोजन किया जाए।
- ठ. प्रतिवादी निर्यातक ने प्रश्नावली के लिए आवश्यक उत्तर दाखिल करके बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः यह माना जाना चाहिए कि संबद्ध देश एक एनएमई है।
- ड. नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 के तहत, एनएमई के मामले में सामान्य मूल्य का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए : (क) एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत; (ख) तीसरे देश से अन्य देश को, भारत सहित, निर्यात की कीमत; (ग) कोई अन्य तर्क संगत आधार।
- ढ. चूंकि पहले दो तरीकों के जरिए सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए कोई सूचना नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने तीसरी पद्धति के आधार पर अर्थात् किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।
- ण. भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण, भारत में भुगतान की गई कीमत, उपयुक्त कीमत को नहीं दर्शाती। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण, भारत में भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- त. याचिकाकर्ता ने लाभों के लिए एक तर्कसंगत वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करने का प्रस्ताव किया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। केवल शानडोंग हुईहाई फार्मास्यूटिकल एंड कैमिकल कंपनी लि. ने निर्यातक की प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल किया है। तथापि, अनुपूरक प्रश्नावली दाखिल नहीं की गई है।

छ.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की जांच

36. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए रूप में और निर्धारित किए गए तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने के लिए किसी भी उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है।

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 के तहत यह प्रावधान है :

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग) और 14 (घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
38. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) का उल्लेख किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए पृष्टा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद तैयार करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि चीन के प्रतिवादी उत्पादकों के मामले में वे यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागतें और कीमत संबंधी सूचना बाजार से संचालित हैं। सामान्य मूल्य की गणना, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
39. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 से उत्पन्न वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार, चीन को एक एनएमई के रूप में मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नोट किया जाना है कि धारा 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं। एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 (क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदत्त की जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के जरिए संतुष्टि के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में मानक विनिर्दिष्ट किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, अनुबंध-1 के पैरा 8 के तहत एक धारणा उत्पन्न हुई है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। अतः यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है कि संबद्ध देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रदान किए गए रूप में और निर्धारित तरीके से एमईटी/ अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य की गणना, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।
40. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया गया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है :

7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने के तीन तरीके निर्दिष्ट किए गए हैं : (क) एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों को एक तीसरे देश से निर्यात कीमत ; और (ग) किसी अन्य तर्क संगत आधार पर। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैरा 7 के प्रावधान के अंतर्गत, सामान्य मूल्य को पहले एक प्रतिनिधि देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव नहीं हो, तो केवल तब ही प्राधिकारी भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी आय तर्क संगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
42. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकारी वैकल्पिक तरीके का प्रयोग तभी कर सकते हैं। जब उसने पहले दो तरीकों का प्रयोग कर लिया हो, जो कि एक प्रतिनिधित्व देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत अथवा भारत सहित तीसरे देशों को एक प्रतिनिधित्व देश से निर्यातों की कीमत के संबंध में है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पहले और दूसरे तरीकों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/ साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त दो तरीकों से सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने के लिए प्राधिकारी के पास कोई सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त सूचना/ साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि पहले अथवा दूसरे तरीके के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए। अतः प्राधिकारी ने तीसरे तरीके के आधार पर अर्थात् भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य तर्क संगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
43. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान चार तिमाहियों से प्राप्त सर्वाधिक क्षमता (अर्थात् ***% क्षमता उपयोग) को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। लागत और अन्य व्यय का जांच की अवधि के दौरान चार तिमाहियों से सर्वाधिक निष्पादन दशानि के लिए मानकीकरण किया गया है। तदनुसार, निर्धारित किया गया। सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

छ.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

शानडोंग हुईहाई फार्मास्यूटिकल एंड कैमिकल कं. लि. के लिए निर्यात कीमत

44. शानडोंग हुईहाई फार्मास्यूटिकल एंड कैमिकल कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत में असंगत उपभोक्ता को सीधे *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यातक ने स्वदेशी यातायात, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत, सीमा शुल्क घोषणा व्यय, सामाजिक मालभाड़ा व्यय और समुद्री बीमा, जहां कहीं भी लागू हैं, के संबंध में समायोजन करने का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। तदनुसार, निवल निर्यात कीमत के निर्धारण का नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

45. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण इस प्रकार किया जाना है :

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	निर्मित सामान्य मूल्य @ ***% संयंत्र क्षमता पर	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अमडा./ मी. टन)	(अमडा./ मी. टन)	(अमडा./ मी. टन)	(%)	(रेंज)
चीन जन. गण.						
1.	शानडोंग हुईहाई फार्मास्यूटिकल एंड कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
2	असहयोगी/ शेष निर्यातक	***	***	***	***	10-20

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

47. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. घरेलू उद्योग किसी उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन के आधार पर क्षति का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है और इसीलिए यह एक 'अस्थापित उद्योग' नहीं है।
- ख. प्राधिकारी को पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को बाजार में अभी मार्ग तलाशना था या पहले ही स्थापना हो चुकी थी।
- ग. याचिकाकर्ता को हुई क्षति स्टार्ट-अप लागतों, कच्ची सामग्रियों की कीमत और क्रेता के बाजार के कारण है।
- घ. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों में ही सामान्य स्टार्ट-अप स्थितियों का उल्लेख किया गया है और याचिकाकर्ता तत्काल बिक्रियों और बाजार अंश को हासिल नहीं कर सकता।
- ङ. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- च. याचिकाकर्ता ने स्वयं ही यह दर्शाया है कि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। यह दर्शाया गया है कि पहुंच कीमत गैर क्षतिकारी कीमत से अधिक है।
- छ. चूंकि यह मैटिरियल रिटार्डेशन का मामला है, अतः उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों, वस्तुसूचियों, बाजार अंश और रोजगार के संबंध में कोई सूचना नहीं होगी। अतः क्षति का दावा करने के लिए कोई आधार नहीं है।
- ज. निर्यातक ने घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में प्रवेश किए जाने के बाद अपनी कीमतों में कमी की, ताकि यह घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। अतः यह घरेलू उद्योग ही है, जो कीमत निर्धारक है और निर्यातक तो मात्र घरेलू उद्योग द्वारा तय की गई कीमतों की प्रतिक्रिया दर्शा रहा है।

- झ. घरेलू उद्योग की लागतें नए संयंत्र से जुड़ी अक्षमताओं, कम क्षमता उपयोग और स्टार्ट-अप लागतों के कारण बढ़ाई गई है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसका निर्माण संयंत्र लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020 के दौरान बंद हो गया था। अतः घरेलू उद्योग को कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के कारण क्षति हुई है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

48. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. चूंकि घरेलू उद्योग ने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, यह उत्पादन की शुरुआती अवस्था में है। अतः इसे एक स्थापित उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ख. यह विश्लेषण किसी उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन के लिए होना चाहिए।
- ग. मैटिरियल रिटार्डेशन मापदंड लागू करने के लिए, उद्योग को अस्थापित होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि एक अस्थापित उद्योग ऐसा हो, जहां कोई उत्पादक शुरू हो गया है।
- घ. दो प्रकार के अस्थापित उद्योग हो सकते हैं : (क) एक विकासशील उद्योग, जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है लेकिन उत्पादन शुरू करने के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिबद्धता की है; (ख) एक शुरुआती उद्योग, जिसने वाणिज्यिक उत्पादन तो शुरू कर दिया है लेकिन अपने आपको व्यापार में स्थापित नहीं किया है।
- ङ. घरेलू उद्योग ने नवंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और अभी बाजार में अपने आपको स्थापित करना है।
- च. यह जांच करने में कि क्या एक शुरुआती उद्योग स्थापित हो गया है अथवा नहीं, प्राधिकारी को ऐसे समय में यह देखना अपेक्षित है, जिसके लिए उद्योग को प्रचालित किया गया है कि क्या नियमित रूप से उत्पादन हो रहा है, क्षमता की तुलना में उत्पादन की मात्रा कम है, क्या घरेलू उद्योग ने अपनी लाभ अलाभ की स्थिति प्राप्त कर ली है और क्या उत्पादन अनियमित है।
- छ. आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग ने अपना संयंत्र स्थापित कर लिया था और उत्पादन शुरू हो गया था।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने के छह माह बाद, माह जून, 2020 के दौरान आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई।
- झ. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग का 89% पूरा करने की क्षमता है, आयातों की मात्रा में भारत में तकरीबन समस्त खपत शामिल है।
- ञ. वर्ष 2018-19 की तुलना में, संबद्ध वस्तुओं की कीमत में जांच की अवधि के दौरान 51% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा, नवंबर, 2019 और जून, 2020 के बीच 25% तक कीमत में कटौती हुई थी।
- ट. सकारात्मक कीमत कटौती हुई है और इस कटौती से घरेलू उद्योग को अपने अनुमान के अनुसार अपनी लक्षित कीमत हासिल नहीं हो रही।
- ठ. आयात कीमत 70% क्षमता पर, अनुमानित बिक्री कीमत से काफी कम है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुएं देश में उत्पादन की लागत से नीचे कीमत पर आयात की जा रही हैं।
- ड. यहां तक कि 70% के इष्टतम क्षमता उपयोग के साथ काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- ढ. आर्थिक क्षति मापदंडों का आकलन अनुमानों के आधार पर किया गया है। यहां तक कि 70% क्षमता उपयोग पर महत्वपूर्ण हानियां, निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल और नकदी लाभ है।

- ण. घरेलू उद्योग बाजार में नया है और इसीलिए इस पर मौजूदा बाजार के भागीदारों के अनुसार कीमतें तय करने के लिए दबाव बनाया जाएगा।
- त. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतें भारत में घरेलू बिक्रियों की कीमत से काफी अधिक हैं।
- थ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम हैं।
- द. पाटित आयातों के चलते, घरेलू उद्योग केवल ***% का क्षमता उपयोग ही हासिल कर पाया है। इसने केवल ***% का बाजार अंश ही हासिल किया है, जबकि उसकी क्षमता घरेलू उद्योग की तकरीबन 90% मांग को पूरा करने की है।
- ध. यहां तक कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार अंश एक चौथाई से भी कम है। घरेलू उद्योग नुकसान पर बेचता आ रहा है और इसकी निर्यात बिक्रियां घरेलू बिक्रियों से अधिक लाभकारी हैं।
- न. संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत में वस्तुओं की पहुंच कीमत से अधिक वृद्धि हुई है।
- प. घरेलू उद्योग के ग्राहकों/ प्रयोक्ता उद्योग से खरीद आदेश, 70% के क्षमता उपयोग पर भी बिक्रियों की लागत से कम हैं।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक उद्योग की स्थापना के मैटिरियल रिटार्डेशन का है न कि सामग्री की क्षति का है। क्षति विश्लेषण की कार्यवाही करने से पूर्व एक उद्योग की स्थापना के संबंध में 'मैटिरियल रिटार्डेशन' की संकल्पना के बारे में कतिपय कानूनी पहलुओं को देखने की जरूरत है।

ज.3.1. उद्योग की स्थापना का मैटिरियल रिटार्डेशन

50. जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3 के तहत 'मैटिरियल रिटार्डेशन' के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई है। केवल अनुच्छेद 3 की पाद टिप्पणी (फुटनोट) में यह उल्लेख किया गया है :

इस करार के तहत, "क्षति" को जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, इसका तात्पर्य एक घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति, एक घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति की आशंका, अथवा ऐसे किसी उद्योग की स्थापना के मैटिरियल रिटार्डेशन (पर्याप्त मंदता) के लिए होगा और इसकी इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार व्याख्या की जाएगी।

51. ऐसा ही मामला सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली 1995 में है, जहां अनुबंध-II में मात्र 'पर्याप्त क्षति', की आशंका और 'पर्याप्त मंदता' ('मैटिरियल रिटार्डेशन') को 'क्षति' की परिभाषा में शामिल किया गया है। अन्य कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एक उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन में क्या शामिल है।
52. तथापि, यह स्पष्ट है कि 'मैटिरियल रिटार्डेशन' केवल अस्थापित उद्योग के लिए लागू होता है न कि ऐसे उद्योगों के लिए, जो पूरी तरह से स्पष्ट हैं। यह साथ ही कि चूंकि प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना तर्क संगत नहीं है कि किसी घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही थी (जो पहले से माना गया है कि ऐसा उद्योग पहले से स्थापित था) और साथ ही यह कि एक घरेलू उद्योग की स्थापना पर ऐसे आयातों से मैटिरियल रिटार्डेशन हुई है। 'अस्थापित उद्योगों' का तात्पर्य भी पाटनरोधी करार अथवा अधिनियम और नियमावली में प्रदान नहीं किया गया है तथापि, पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए डब्ल्यू टी ओ में एक प्रस्ताव रहा है, जिसेक तहत मैटिरियल रिटार्डेशन और घरेलू उद्योग की स्थापना के तात्पर्य में कुछ स्पष्टता दी गई है। प्रारूप प्रस्ताव का संगत अंश इस प्रकार है :

"3.9. एक घरेलू उद्योग की स्थापना को पर्याप्त क्षति होने का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा न कि मात्र आरोप, अनुमान अथवा दूरस्थ संभावना के आधार पर होगा। किसी उद्योग को स्थापित माना जा सकता है, जहां

आयातक सदस्य के परिक्षेत्र में पहले से उत्पादन नहीं हो रहे किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए एक वास्तविक और पर्याप्त संसाधन प्रतिबद्धता की गई है लेकिन उत्पाद अभी शुरू नहीं हुआ है अथवा वाणिज्यिक मात्रा में अभी नहीं पहुंचा है। यह निर्धारण करने में कि क्या कोई उद्योग स्थापित है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में, प्राधिकारी अन्य के साथ-साथ स्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त वित्त तथा व्यवहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं अथवा बाजार के अध्ययनों के संबंध में साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं।”

53. यद्यपि उपरोक्त अंश, मात्र एक प्रस्ताव है और प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच करने में यह एक मार्गदर्शन के लिए काम करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त प्रस्ताव पर एसबीआर रबर और फाइबर बोर्ड के संबंध में जांचों में डीजीटीआर द्वारा भरोसा किया जा चुका है।

54. उपरोक्त अंश से ‘मैटिरियल रिटार्डेशन’ और ‘अस्थापित उद्योग’ अथवा ‘एक उद्योग की स्थापना’ के तात्पर्य को पहचानना संभव होगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई ‘अस्थापित उद्योग’ ऐसा हो, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां पर किसी उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया हो लेकिन उसने बाजार में वाणिज्यिक मौजूदगी हासिल नहीं की हो। इसे ‘अस्थापित उद्योग’ के रूप में कहा जा सकता है और ऐसे मामले में ‘मैटिरियल रिटार्डेशन’ का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। यह प्रस्तावित अनुच्छेद 3.9 के दूसरे वाक्य से और डब्ल्यू टी ओ के उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन के अंश की पाद टिप्पणी (फुटनोट) सं. 14 से स्पष्ट है। इसके अलावा एसबीआर जांच में, प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है :

“71. जबकि पर्याप्त क्षति अथवा पर्याप्त क्षति की आशंका की जांच को एक मौजूदा घरेलू उद्योग के लिए अथवा ऐसे प्रचालनों के लिए लागू किया जा सकता है, जो घरेलू उद्योग द्वारा विगत में किए गए थे। घरेलू उद्योग के मामले में, जो अभी पूरी तरह से स्थापित किया जाना है, लागू जांच मैटिरियल रिटार्डेशन के लिए है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित दो स्थितियां संगत हैं, जहां मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच लागू हो सकती हैं :

(i) विकासशील उद्योग के मामले में, जिसने वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू नहीं किया है लेकिन उत्पादन शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता कर दी है;

(ii) “शुरुआती उद्योग” के मामले में जहां वाणिज्यिक उत्पादन यद्यपि शुरू हो चुका है लेकिन उद्योग को अभी बाजार में अपना स्थान तलाशना है।”

55. संयुक्त राज्य मैटिरियल रिटार्डेशन की जांचों में इसी प्रकार की संकल्पना का अनुसरण करता है। यूएस हैंडबुक ऑन प्रोसीजर में उल्लिखित प्रक्रिया इस प्रकार है :

“याचिकाकर्ता यह आरोप लगा सकते हैं कि संयुक्त राज्य में किसी उद्योग की स्थापना संबद्ध व्यापार के आयातों अथवा आयातित माल के लिए बिक्रियों (अथवा बिक्रियों की संभावना) के कारण से मैटिरियल रिटार्डेशन है। कानून में “मैटिरियल रिटार्डेशन” को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, विगत मामलों में इस मामले पर विचार करने में, आयोग ने इस प्रश्न की जांच करनी शुरू की है कि क्या यूएस उद्योग “स्थापित” है। यदि यूएस उत्पादकों ने उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है तो उद्योग को स्थापित माना जाता है, यदि यूएस उत्पादकों ने अपने प्रचालनों को “स्थापित” कर लिया हो। इसका आकलन करने में आयोग ने निम्नलिखित कारकों की जांच की है : (1) यूएस उद्योग ने उत्पादन कब शुरू किया; (2) क्या उत्पादन नियमित रूप से हुआ है या शुरू हुआ है और बंद हो गया है; (3) समग्र घरेलू बाजार के आकार की तुलना में घरेलू उत्पादन का आकार; (4) क्या क्रियाकलाप वास्तव में नया उद्योग है अथवा स्थापित फर्म की एक नई उत्पाद शृंखला मात्र है। यदि उद्योग स्थापित नहीं है, तो आयोग यह विचार करता है कि क्या उद्योग का कार्य निष्पादन सामान्य स्टार्ट-अप समस्याओं को दर्शाता है अथवा क्या संबद्ध व्यापार के आयातों के कारण से उद्योग की स्थापना का मैटिरियल रिटार्डेशन हुआ है”

56. मोरक्को - टर्की से कतिपय हॉट रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी उद्योग की स्थापना है, कुछ मार्गनिर्देश दिए हैं। पैनल ने यह पाया कि अनुच्छेद 3.1. में यह निर्धारण करने के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं दी गई है कि क्या कोई उद्योग स्थापित हो चुका है। प्राधिकारी

को ऐसी कोई तर्कसंगत प्रणाली उपयोग में लाने की अनुमति है, जो कि धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हो। तथापि, ये अनुमान तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर होने चाहिए।

57. पैनल के समक्ष मामला, "मैटिरियल रिटार्डेशन" का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए किसी उद्योग की "स्थापना" के बारे में था। पैनल ने यह पाया कि प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि कौन से मापदंड संगत हैं, जो यह निर्धारित करे कि क्या कोई नया उद्योग स्थापित हो चुका है। पैनल द्वारा विचार किया गया एक मापदंड यह था कि क्या उत्पादन में, यदि मौजूदा कंपनी की एक नई 'उत्पाद श्रृंखला' शामिल है। यदि कोई मौजूदा उद्योग/ कंपनी केवल एक नई उत्पाद श्रृंखला को शुरू करती है तो इसे "अस्थापित उद्योग" नहीं माना जाना चाहिए। इस कारक की जांच करने के लिए, प्राधिकारी को उत्पादक (ग्राहक सम्पर्कों, विवरण चैनलों, मौजूदा उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों आदि सहित) की समग्र अवसंरचना का उपयोग करने में ओवरलैप की मात्रा को देखना होगा। पुरानी अवसंरचना के साथ अधिक मात्रा में ओवरलैप का तात्पर्य यह होगा कि यह कम संभव है कि कोई नया उद्योग स्थापित हो गया है। पैनल की टिप्पणियों का संगत अंश इस प्रकार है :

7.211. हम अंत में यह नोट करते हैं कि हम अपने आप इन कारकों पर अपनी घोषणा नहीं करते अथवा यह निर्धारण कि क्या घरेलू उद्योग अस्थापित है, क्या निर्देशात्मक है या वर्णनात्मक है। हम यह स्वीकार करते हैं कि कोई संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग ही संगत बाजार में समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। साथ ही हम यह नोट करते हैं कि जब बाजार में उस उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक हो, जहां पर कि किसी मौजूदा उद्योग और मौजूदा उत्पादन से लाभ, विपणन और अन्य प्रचालनों से उत्पाद में केवल नई "उत्पाद श्रृंखला" शामिल है, तो ऐसे साझा प्रचालन यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या कोई अलग नया उद्योग स्थापित हो गया है। यदि मौजूदा उद्योग किसी अन्य उत्पाद, जो वर्तमान में उत्पादित किया जा रहा है, से भिन्न कोई नया उत्पाद शुरू करने का चयन करता है, तो उन नए उत्पाद को शुरू करने के लिए एक नया उद्योग शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे मौजूदा उद्योग में नई उत्पाद श्रृंखला शुरू करने के रूप में भी माना जा सकता है, जो मौजूदा उद्योग की समग्र अवसंरचना (उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) की मात्रा के आधार पर माना जा सकता है। मौजूदा अवसंरचना के उपयोग में जितनी अधिक मात्रा में ओवरलैप होगा, उतनी कम संभावना होगी कि एक नया उद्योग स्थापित करने में नए उत्पाद शुरू करना हो। यह तथ्य कि कोई उद्योग समान उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 द्वारा परिभाषित है और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के पूर्व के मौजूदा उत्पादक नहीं हैं, उस घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत करने में मौजूदा अवसंरचना जैसे ग्राहक संपर्क और वितरण चैनलों का उपयोग करने की संभावना समाप्त नहीं होती।

58. अतः एक पहलु, जिसे यह निर्धारित करने में देखा जाना है कि क्या उद्योग मौजूद है अथवा नहीं, यह कि क्या मौजूदा उद्योग में उत्पाद में मात्र एक नई उत्पाद श्रृंखला शामिल है, यदि यही मामला है तो प्राधिकारी को नई उत्पाद श्रृंखला में मौजूदा अवसंरचना के समग्र उपयोग के ओवरलैप के स्तर का विश्लेषण करना चाहिए।

59. क्षति आकलन के संबंध में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने निम्नलिखित मार्गनिर्देश दिए हैं :

7.233. इसके अलावा, हम यह विचार करते हैं कि सूचीबद्ध प्रत्येक 15 क्षति कारकों का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 3.4 में बाध्यता मैटिरियल रिटार्डेशन के रूप में क्षति की एक जांच के लिए अधिक लागू होती है, जैसा कि यह पर्याप्त क्षति अथवा पर्याप्त क्षति की आशंका के लिए होती है। यह निम्नलिखित कारकों के लिए है : अनुच्छेद 3.1 का पाटनरोधी करार की पाद टिप्पणी (फुटनोट) 9 के आलोक में पाठन करने से यह अपेक्षित है कि मैटिरियल रिटार्डेशन का निर्धारण अन्य के साथ-साथ, "घरेलू उत्पादकों पर (पाटित) आयातों के परिणामी प्रभाव", सकारात्मक साक्ष्य और उद्देश्यपरक जांच के आधार पर होना चाहिए। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच भी अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें उस प्रावधान में सूचीबद्ध 15 क्षति कारकों सहित सभी संगत कारकों का एक मूल्यांकन शामिल है। इसका अनुरूप मैटिरियल रिटार्डेशन का कोई निर्धारण घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की एक जांच के आधार पर होना चाहिए और उस जांच में अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध 15 क्षति कारकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच शामिल होनी चाहिए। हमारी संकल्पना इजिप्ट - स्टील रीबार मामले में पैनल द्वारा दिए गए जांच परिणामों के

अनुसार है कि “अनुच्छेद 3.4 के कारकों की जांच हर जांच में की जानी चाहिए, इसमें दी गई जांच के मामले में विशेष अभिव्यक्ति अथवा क्षति का रूप चाहे कुछ भी हो।” अनुच्छेद 3 के पाठ में कुछ भी मोरक्को के इस तर्क का समर्थन नहीं करता कि किसी जांच प्राधिकारी को एक पर्याप्त क्षति के विश्लेषण की तरह ही एक मैटिरियल रिटार्डेशन के विश्लेषण में अनुच्छेद 3.4 के कारकों को देखना अपेक्षित नहीं होता।”

ज.3.2. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार में घरेलू उद्योग के प्रवेश के पूर्व, भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए पूर्ण मांग, आयातों के द्वारा पूरी की जा रही थी, जिनमें से अधिकतर संबद्ध देश से थे। घरेलू उद्योग ने नवंबर, 2019 में अपना संयंत्र स्थापित किया था, किन्तु जनवरी, 2020 में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग एक अस्थापित उद्योग है या एक स्थापित उद्योग है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारकों की जांच की है:

क. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब आरंभ किया?

61. जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका विनिर्माण संयंत्र नवंबर, 2019 में स्थापित किया गया था, किन्तु व्यावसायिक उत्पादन केवल जनवरी 2020 में आरंभ हुआ था। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन केवल पीओआई में ही आरंभ किया गया था और संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। हालांकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हो गया है, उत्पादन पर्याप्त व्यावसायिक मात्रा तक नहीं पहुंचा है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग बहुत कम समय से अस्तित्व में है और इस मापदंड पर इसे एक विद्यमान उद्योग नहीं माना जा सकता।

ख. क्या संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन वर्तमान उद्योग में सिर्फ एक नई उत्पादन श्रृंखला है?

62. डब्ल्यूटीओ पैनल ने अवलोकन किया है कि यदि उद्योग का उत्पादन मौजूदा उद्योग में सिर्फ एक नई उत्पादन श्रृंखला है, तो यह उल्लेखनीय मंदी का मामला नहीं हो सकता है। तथापि, पैनल ने जोर दिया है कि मात्रा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिस के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है। आवेदक वर्ष 2006 में निगमित किया गया था और इस का प्रथम संयंत्र 2009 में स्थापित किया गया था। संबद्ध वस्तुओं के अलावा, आवेदक बहुत से अन्य उत्पादों का भी उत्पादन करता है और 25 अन्य देशों को अपने उत्पादों का निर्यात भी करता है। आवेदक की कुरकुंभ एमआईडीसी, पुणे में दो यूनिटें प्रचालन कर रही हैं। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, वह अपनी वर्तमान सुविधाओं वाले उन्हीं परिसरों में नया स्वचालित संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। संयंत्र एवं मशीनरी के विवरण, जिन्हें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों की श्रृंखला के मध्य एक नया आरंभ किया गया रासायनिक उत्पाद है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका पीयूसी का विनिर्माण संयंत्र नवंबर, 2019 में स्थापित किया गया था, किन्तु व्यावसायिक उत्पादन जनवरी, 2020 में ही आरंभ किया गया था। इसलिए, घरेलू उद्योग बहुत कम अवधि से अस्तित्व में है और इसे इस मापदंड पर वर्तमान उद्योग नहीं माना जा सकता है।

63. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने अवलोकन किया है कि महत्वपूर्ण बात स्वयं एक नई उत्पादन श्रृंखला का आरंभ होना नहीं है, बल्कि उद्योग के वर्तमान बुनियादी ढांचे के साथ मात्रा का अतिव्यापन है। प्राधिकारी यह भी नोट किया है कि चूंकि समान परिसर में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए एक नई संयंत्र/उत्पादन श्रृंखला स्थापित की जा रही है, घरेलू उद्योग संभवतः विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए अपने विद्यमान प्रबंधन/बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा है।

ग. कुल मिलाकर घरेलू उद्योग के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार

64. आवेदक संबद्ध वस्तु का एकमात्र भारतीय उत्पादक है। तथापि, पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा दावा किया गया बाजार हिस्सा सिर्फ ***% है, डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न एचएस कोड, जिनके अंतर्गत पीयूसी का आयात किया गया था, पीओआई के दौरान आवेदक के बाजार हिस्से को ***% के रूप में दर्शाता है।

घ. उत्पादन की स्थिरता

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल पीओआई के दौरान ही आवेदक ने उत्पादन आरंभ किया है और माह से माह आधार पर उत्पादन यह संकेत नहीं देता है कि आवेदक का उत्पादन बढ़ रहा है। आवेदक पीओआई के दौरान पीयूसी के निर्यातों में भी संलग्न रहा है।
66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण संयंत्र नवंबर, 2019 में स्थापित किया गया था, लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन केवल जनवरी, 2020 में शुरू हुआ था, इस प्रकार घरेलू उद्योग बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहा है और इसलिए, इसे इस मानदंड पर विद्यमान उद्योग होने पर विचार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि कंपनी निर्विवाद रूप से मौजूद है और स्थापित कंपनी है, अनेक अन्य उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रही है, जो वर्तमान जांच का विषय नहीं है, फिर भी इस पर कोई विवाद नहीं है कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, आवेदक कंपनी देश में उसकी एकमात्र और नई उत्पादक है। जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री का संबंध है, यह निर्विवाद रूप से एक नया उत्पाद है और उत्पादन का विगत का कोई इतिहास नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को भारत में समान वस्तु के उत्पादन में लगी कंपनी के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। नियमों की आवश्यकता है कि पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाना चाहिए जब उपलब्ध आंकड़े उस उत्पादन की अलग पहचान की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए भौतिक मंदता की जांच उत्पाद के संदर्भ में की जानी चाहिए न कि कंपनी के संदर्भ में। यह बहुत संभव है कि कंपनी पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो। हालांकि जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में उद्योग अच्छी तरह से स्थापित है। पीयूसी के संदर्भ में उद्योग की स्थापना को देश में उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित कंपनी के संचालन की लंबाई को ध्यान में रखते हुए देखा जाना आवश्यक है। निर्विवाद रूप से, इस संबंध में, कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उद्योग एक नया उद्योग है।
67. प्राधिकरण ने चार मापदंडों (उत्पादन की समय अवधि, मौजूदा बुनियादी ढांचे का ओवरलैप, उत्पादन का आकार और उत्पादन की स्थिरता) की जांच की है जो यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं कि उद्योग स्थापित किया गया है या नहीं। सभी चार मापदंडों के गहन मूल्यांकन के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक एक स्थापित उद्योग नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में एक नया और नवजात उद्योग है।
68. प्राधिकारी ने ऊपर विचार विमर्श की गई कानूनी स्थिति के आधार पर क्षति विश्लेषण आयोजित किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति संबंधी मापदंडों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि यह बहुत कम समयावधि से अस्तित्व में है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने अपनी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, अपने निष्पादन के अनुमानों के आधार पर क्षति विश्लेषण आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। प्राधिकरण द्वारा पीओआई के दौरान सभी चार तिमाहियों में प्राप्त की गई सर्वोत्तम संयंत्र क्षमता (अर्थात् ***% क्षमता उपयोग) के आधार पर जांच की गई है। हालांकि क्षति संबंधी पैरामीटरों का मूल्यांकन इस कार्य पद्धति में नए उद्योगों के साथ संलग्न स्टार्ट-अप लागत, अदक्षताओं और निम्न क्षमता उपयोगों को ध्यान में रखा गया है, चूंकि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अस्तित्व में नहीं था, प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान तिमाही आधार पर प्रत्येक पैरामीटर की जांच की है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।

झ. मांग का आकलन/स्पष्ट खपत:

69. वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की स्पष्ट खपत या मांग को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से विभिन्न टैरिफ शीर्षों के तहत आयातों के योग के रूप में उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और डीजीटीआर द्वारा प्राप्त किए गए डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों में भिन्नता है। प्राधिकारी ने विभिन्न टैरिफ शीर्षों के तहत किए गए कुल आयातों पर विचार किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19- दिस.'19 (क)	अप्रैल'19- दिस'19	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	कि.ग्रा.	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-	100	1,387	7,386	5,808
संबद्ध आयात	कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	66	66	130	100	91	96	85
अन्य देशों से आयात	कि.ग्रा.	***	-	***	***	***	***	***	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	168	168	1	100	10	-	5
कुल मांग	कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	66	66	144	100	94	116	101
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	1,469	6,380	5,766
संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	99	91	100	96	83	84
अन्य देशों के आयात का बाजार हिस्सा	%	***	-	***	***	***	***	***	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	252	336	0	100	10	-	5

70. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग में 2017-18 के स्तर से बढ़कर 2018-19 के दौरान वृद्धि हुई है। कैलेंडर वर्ष 2019 में, संबद्ध वस्तुओं की मांग निम्न रही है। तथापि, पीओआई के दौरान मांग बढ़ कर अपने उच्चतम स्तर पहुंच गई। हालांकि कुल मिलाकर आयातों की मात्रा में वर्ष 2019 के दौरान गिरावट आई है, पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग की बिक्रियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च रही है। इस के अलावा, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि यह कुल घरेलू मांग के 89 प्रतिशत को पूरा करने की क्षमता रखता है। हालांकि, आयातों के कारण, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल **** % है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कुल मांग के संबंध में, घरेलू उद्योग शायद कुल मांग का 89 प्रतिशत पूरा नहीं कर सकता। पीओआई के दौरान डीआई के उत्पादन का इष्टतम स्तर (अर्थात क्षमता उपयोग के 70% पर) भी घरेलू उद्योग का उत्पादन *** किग्रा होगा, जो कुल मांग का लगभग ***% है वह भी डीआई द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार केवल पांचवें वर्ष में ही प्राप्त किए जाने योग्य है। इसके अलावा, ***% क्षमता उपयोग पर, घरेलू उद्योग का उत्पादन *** किग्रा होगा। यह देखा गया है कि अधिमूल्यांकित क्षमता उपयोग पर भी, संबद्ध आयातों की मात्रा संभावित घरेलू उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है। तथापि, ***% क्षमता उपयोग पर भी घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार का प्रबंध करने की क्षमता भी ***% ही होगी।

ज. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

71. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या कुल रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से अधिप्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19- दिस'19 (क)	अप्रैल'19- दिस'19	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
संबद्ध देश चीन जन.गण	कि.ग्रा	8,03,800	10,06,767	5,30,080	3,97,560	10,45,780	2,81,407	2,55,675	2,69,434	2,39,264
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	66	66	130	100	91	96	85
अन्य	कि.ग्रा	3,996	-	6,701	5,026	24	21	2	-	1
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	168	168	1	100	10	-	5
कुल आयात	कि.ग्रा	8,07,796	10,06,767	5,36,781	4,02,586	10,45,804	2,81,428	2,55,677	2,69,434	2,39,265
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	66	66	129	100	91	96	85
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात										
कुल आयात	%	100	100	99	99	100	100	100	100	100
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	132	100	100	100	100	100
भारतीय उत्पादन	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	87	53	45
भारतीय मांग	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	132	91	100	96	83	84

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा पूरी जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय बनी रही है। प्रमुख आयात केवल संबद्ध देश से हैं। उस समय के दौरान जब घरेलू उद्योग का उत्पादन आरंभ हुआ, संबद्ध देश से आयात घरेलू उत्पादन से *** गुना से अधिक था। तथापि, यह देखा गया है कि डीआई कुल मांग में लगभग ***% बाजार हिस्से को सुरक्षित रखने में सक्षम है।

ट. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

73. नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण किया है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता। इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री बसूली के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

74. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटा कर, घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है

चीन	यूओएम	पीओआई
निवल बिक्री बसूली	रू./कि.ग्रा	***
पहुंच मूल्य	रू./कि.ग्रा	589
कीमत कटौती	रू./कि.ग्रा	***
कीमत कटौती	%	***

75. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देश के लिए कीमत में कटौती नकारात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग ने कहा है कि इसे कथित पाटित आयातों के कारण बहुत कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि वह 900 रु. प्रति किलोग्राम पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने का विचार रखता था, किन्तु उसे कम कीमत पर बेचने के लिए विवश था। इस के अलावा, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि निर्यातकों / उत्पादकों ने आरंभ में काफी अधिक कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की, किन्तु बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रवेश करने के बाद कीमत में कमी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीआई संबद्ध देश से पीयूसी के पहुंच मूल्य से काफी कम कीमत पर बाजार में पीयूसी की बिक्री कर रहा है।
76. इस के अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाहे कीमत कटौती नकारात्मक है, फिर भी, डीआई क्षति का सामना कर रहा है क्योंकि यह कथित रूप से पाटित आयातों के कारण बहुत कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के लिए विवश है।

ख. कीमत ह्रास /न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास करता है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है जो अन्यथा रूप से घटित हुई होती और क्षति अवधि में लागतों और कीमतों की पहुंच मूल्य से तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	अप्रैल' 20 – दिस' 20 (पीओआई)	पीओआई (क)
पहुंच मूल्य	रु./कि.ग्रा.	600	1,281	1,231	589	589
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	213	205	98	98
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.				***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100	100
बिक्रियों की लागत	रु./कि.ग्रा.	-	-	-	***	***
प्रवृत्ति		-	-	-	100	100

78. घरेलू उद्योग ने 900 रु. प्रति किग्रा. का कीमत अनुमानित की है। तथापि, जांच की अवधि में आयातों का पहुंच मूल्य 589 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्राधिकारी ने ऐसे कारणों पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि घरेलू उद्योग कीमत ह्रास की स्थिति में है और अनुमानित स्तर पर बिक्री कीमत को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। तथापि, यह नोट किया गया है कि डीआई कीमत ह्रास की स्थिति में नहीं है क्योंकि पहुंच मूल्य डीआई की बिक्री कीमत की तुलना में अधिक है।

ठ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

79. नियमावली के अनुबंध II में व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, का एक उद्देश्य परक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी में वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

80. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19-दिस'19 (क)	अप्रैल'19-दिस'19	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
क्षमता प्रति वर्ष	क्रि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	100	111	133
उत्पादन	क्रि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	105	180	187
क्षमता उपयोग	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	105	162	140
घरेलू बिक्रियां	क्रि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	1,387	7,386	5,808

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कुल क्षमता *** कि.ग्रा. का है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पीओआई के दौरान ***% के अनुमानित स्तर के आस-पास बना रहा है।

ख. बाजार हिस्सा

82. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और संबद्ध आयातों की तुलना नीचे की गई है। विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19-दिस'19 (क)	अप्रैल'19-दिस'19 (क)	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
घरेलू उद्योग	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	1,469	6,380	5,766
संबद्ध देश	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	99	91	100	96	83	84
अन्य देश	%	***	-	***	***	***	***	***	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	252	252	0	100	10	-	5
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-

83. यह देखा गया है कि व्यावसायिक उत्पादन को आरंभ करने के पश्चात घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल *** % था।

ग. माल सूची

84. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की माल सूची निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19- दिस'19 (क)	अप्रैल'19- दिस'19	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
अधशेष	कि.ग्रा	-	-	-	-	-	-	***	***	***
अंतशेष	कि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
औसत अंतशेष माल सूची	कि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	100	100	141	225	340

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूचियों ने पूरी जांच अवधि के दौरान वृद्धि को लगातार समनुरूप पैटर्न को दर्शाया है, जो तिमाही आधार पर स्टॉक के संचयन की ओर संकेत करता है।

घ. लाभ प्रदत्ता नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

86. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19- दिस'19	अप्रैल'19- दिस'19(क)	पीओई	पीओई (ति1)	पीओई (ति2)	पीओई (ति3)	पीओई (ति4)
बिक्रियों की लागत	रु./कि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	100	100	100	100	100
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	100	100	89	78	78
लाभ प्रति यूनिट	रु./कि.ग्रा	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	(100)	(100)	(307)	(524)	(532)
कुल लाभ (हानि)	लाख रु.	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	(100)	(100)	(4,259)	(38,675)	(30,906)
नकद लाभ	लाख रु.	-	-	-	-	***	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-
व्याज और कर पूर्ण लाभ	लाख रु.	-	-	-	-	***	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-	-	-	***	-	-	-	-
प्रवृत्ति	रेंज	-	-	-	-	(0-10)	-	-	-	-

87. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत रु.***/किलोग्राम है। तथापि, पीओआई (और प्रत्येक तिमाही में) के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्रियों की लागत से कम रही है-जो यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग हानि उठा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति इकाई लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ न केवल ऋणात्मक रहे हैं बल्कि पूरी पीओआई के दौरान अनुमानित स्तर से भी नीचे बने रहे हैं।

ड रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा नीचे दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	अप्रैल'19-दिस'19	अप्रैल'19-दिस'19(क)	पीओआई	पीओआई (ति1)	पीओआई (ति2)	पीओआई (ति3)	पीओआई (ति4)
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	122	116	113
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	1,240	5,779	4,520
दैनिक उत्पादकता	किग्रा./दिन	-	-	-	-	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100	100	105	180	187

89. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या अधिकतर वही बनी हुई है। तिमाही आधार पर प्रति दिन की उत्पादकता बढ़ी हुई है।

च. वृद्धि

90. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता पैरामीटरों, दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। आवेदक ने दावा किया है कि जांच की अवधि में ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण है। हालांकि, घरेलू उद्योग के संयंत्र कोविड-19 महामारी के कारण केवल 10-12 दिनों के लिए बंद किए गए थे और पीओआई के दौरान कुल घरेलू मांग अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ी है।

छ. पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पीओआई में संबद्ध आयातों के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण थी और इसलिए यह घरेलू उद्योग की कीमतों को क्षति पहुंचा सकता है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर संबद्ध आयातों द्वारा दबाव बनाया हो सकता है।

झ. पाटन की मात्रा

93. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुएं आवेदक उद्योग के वास्तविक निष्पादन के संबंध में और पीओआई के दौरान तिमाही क्षमता उपयोग के लिए अनुकूलित होने पर भी भारत में पाटित की जा रही हैं।

ड क्षति मार्जिन की मात्रा

94. नियमावली के अनुबंध III के संदर्भ में, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, की जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार तैयार गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उत्पादकों का नाम	क्षति रहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(अमेरिकी डॉलर/मी टन)	(अमेरिकी डॉलर/मी टन)	(अमेरिकी डॉलर/मी टन)	(%)	(रेंज)
चीन जन.गण						
1	शेडोंग हुईहाई फार्मास्युटिकल एंड केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	असहयोगी/अवशेष निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ढ. गैर-आरोपण विश्लेषण

95. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न की गई क्षति को पाटित आयातों को आरोपित न किया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक भी क्षति में योगदान कर सकते हैं, जिस के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में उल्लेखनीय बाधा उत्पन्न हुई है:

क. तृतीय देश से आयातों की मात्रा और कीमत

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से आयात न्यूनतम है और किसी भी प्रकार के विश्लेषण को जो भी हो, प्रभावित नहीं करते। वर्ष 2017-18 के बाद से तीसरे देशों से आयात शून्य हैं और संबद्ध देश एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है।

ख. मांग में संकुचन

97. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग एक बेहतर दर से बढ़ रही थी। पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग जांच किए गए किन्हीं पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

98. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

घ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

99. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरीके में प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य है।

ङ. नए स्थापित उद्योगों के साथ संबद्ध स्टार्ट अप, लागतें, अदक्षताएं

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच महत्वपूर्ण मंदी के लिए है। घरेलू उद्योग ने नवंबर, 2019 में व्यावसायिक उत्पादन की घोषणा की थी, किन्तु व्यावसायिक उत्पादन जनवरी, 2020 में आरंभ किया था। महत्वपूर्ण क्षति जांच के मामले में, प्राधिकारी ने क्षति की जांच के लिए 3 वर्ष की क्षति अवधि और पीओआई की जांच की है, तथापि, चूंकि उद्योग केवल 2019-20 में ही स्थापित किया गया है और ऐसे कोई महत्वपूर्ण क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान तिमाही आधार पर क्षति संबंधी मापदंडों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग इस समय उत्पादन के एक बेहद प्रारंभिक स्तर पर है और नए स्थापित किए गए उद्योग के साथ संबद्ध प्रचालन और स्टार्टअप लागतों को वहन कर रहा है और यदि प्राधिकारी

70% के अनुमानित स्तर पर उच्चतम प्राप्ति योग्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्माण करते हैं, तो यह लागत में कमी करेगा। प्राधिकारी ने पीओआई की सभी चार तिमाहियों के बीच घरेलू उद्योग की सर्वोत्तम प्राप्त क्षमता के आधार पर क्षति विश्लेषण आयोजित किया है (अर्थात् ***% क्षमता उपयोग)। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नए उद्योग के साथ संबद्ध स्टार्ट-अप लागतें, अदक्षताएं और निम्न क्षमता उपयोग कार्य कारण का निर्धारण करने में एक संगत कारक है।

च. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन में प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

छ. निर्यात निष्पादन

102. घरेलू उद्योग का कहना है कि वह पूरे विश्व में 25 से अधिक देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करता है। इस के अलावा, घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान इस के द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्रा भी निर्यात की है। तथापि, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन हेतु केवल घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है।

ज. उत्पादकता

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता अनुमानित स्तर पर बनी रही थी, हालांकि पीओआई के दौरान लगभग 10-12 दिनों के लिए संयंत्र बंद था।

ण. प्रकटन पश्चात विवरण टिप्पणियाँ:

104. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने कोई प्रकटन पश्चात विवरण टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं। केवल घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नानुसार है:

क. शेडोंग हुईहाई फार्मास्युटिकल एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड भारतीय ग्राहकों को 1 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की छूट प्रदान करती है, और निर्यातक द्वारा विरोधी दावे झूठे हैं।

ख. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में 30% तक वृद्धि हुई है।

ग. यद्यपि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास नहीं किया है, तथापि कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को अपने लक्षित मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध सामानों को बेचने के लिए मजबूर किया है।

घ. माह-वार आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत कटौती 6 माह के लिए सकारात्मक है, और 5 माह के लिए नकारात्मक है।

ड. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग अनुमानित स्तर पर होने के बावजूद, वह घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का केवल 47% ही बेचने में सक्षम है।

च. यहां तक कि सभी घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री को मिलाकर, घरेलू उद्योग की मालसूची कुल उत्पादन का 38% है।

छ. घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों के पाटन के कारण संभावित बाजार हिस्से को लेने में असमर्थ है। यहां तक कि अनुमानित क्षमता उपयोग पर भी घरेलू उद्योग बाजार हिस्सेदारी खो देगा।

ज. घरेलू उद्योग में इष्टतम क्षमता उपयोग पर भारत में 69 प्रतिशत मांग को पूरा करने की क्षमता है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 12% था, और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान, बाजार हिस्सा 24% था।

झ. घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता कुल घरेलू मांग का लगभग 90% पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ञ. यहां तक कि 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर भी घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा इसके मौजूदा बाजार हिस्से का 5.86 गुना होगा।

ट. अधिकतम क्षमता उपयोग पर भी, घरेलू उद्योग को हानि होगी और निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज करेगा।

- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग के बाजार में प्रवेश करने के बाद आयात कीमतों में 52% तक कमी आई थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- ढ. आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की वास्तविक और साथ ही उत्पादन एवं बिक्री की संभावित लागत से कम है।
- ण. घरेलू उद्योग के सामान की कीमत उसके लक्षित मूल्य से बहुत कम है।
- त. जबकि आवेदक की बिक्री में सकारात्मक वृद्धि हुई है, लाभप्रदता मानकों में गिरावट आई है।
- थ. प्रमुख कच्ची सामग्री, अर्थात् साइक्लोहेक्सिलामाइन की कीमत में वृद्धि हुई है, और अब इसकी कीमत संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य से अधिक है।
- द. घरेलू उद्योग भी कच्ची सामग्री, अर्थात् साइक्लोहेक्सिलामाइन के मार्क अप में गिरावट से लाभ नहीं उठा पाया है।
- ध. प्राधिकारी क्षति मानकों का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर भी विचार कर सकते हैं।
- न. प्राधिकारी द्वारा 'क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन', 'स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर और रेजिन' या 'अन्य ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस बांडेड वुड' से संबंधित जांचों में भी जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया गया है।
- प. जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े निम्नलिखित सिद्ध करेंगे: -
- (i) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल 24% है, जबकि आयात बाजार के तीन-चौथाई है।
 - (ii) आयातों की कीमत में और गिरावट आई है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है।
 - (iii) घरेलू उद्योग पर ग्राहकों द्वारा हाल ही में दिए गए ऑर्डर्स यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के बाद के लेनदेनों में सहमत कीमतें जांच की अवधि के दौरान कीमत की तुलना में काफी कम हैं, और इसके परिणामस्वरूप, हानि बहुत अधिक है।
 - (iv) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के रूप में काफी गिरावट आई है।
 - (v) भारत में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग भारत में पर्याप्त संख्या में बिक्री करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री काफी अधिक है क्योंकि निर्यात बाजार भारतीय बाजार की तुलना में अधिक आकर्षक हैं।
- फ. आवेदक उसके द्वारा उत्पादित कई दवाओं के सबसे बड़े वैश्विक विनिर्माताओं में से एक है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद भी शामिल है। आवेदक उत्पाद में नया है, और उद्योग में नया नहीं है।
- ब. आवेदक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप, यह सुविख्यात भारतीय और वैश्विक ग्राहकों के साथ व्यापार में लगा हुआ है, और उसने अपने मौजूदा ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है।
- भ. घरेलू उद्योग का प्रतिकूल निष्पादन किसी अक्षमता या स्टार्ट-अप लागत के कारण नहीं है। यह इस तथ्य से सिद्ध है कि यदि पहले से प्रचलित आयात कीमतें कायम रहतीं तो संयंत्र पर्याप्त रूप से लाभप्रद होता।
- म. वर्तमान जांच में शुल्क लगाना निम्नलिखित कारणों से जनता के हित में है:
- (i) यह नए स्थापित घरेलू उत्पादक को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए एक समान व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करेगा;
 - (ii) यह उपभोक्ता के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत को कम करेगा क्योंकि अब आयातों की कीमत अत्यधिक नहीं होगी; तथा
 - (iii) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद का एक स्थिर घरेलू उत्पादक है।

- य. यदि विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में गैर-अर्थक्षम है, तो उसे अपने संयंत्र को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।
- कक. आवेदक ने हाल ही में बड़ी राशि का निवेश करके भारत में क्षमताएं स्थापित की हैं। अतः, आवेदक द्वारा किए गए निवेशों का संरक्षण करने की आवश्यकता है।
- खख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व, निर्यातकों ने जानबूझकर भारत में प्रतिस्पर्धा की कमी के अभाव में संबद्ध सामानों के लिए अत्यधिक कीमतें वसूल की थीं।
- गग. आवेदक एक ऐसी कंपनी है जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाती है, और सतत विकास पर पूरा ध्यान देती है। अतः, शुल्क लगाना व्यापक रूप से जनता के हित में होगा।
- घघ. घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है, और यदि पाटन की स्थिति बनी रहती है, तो उसे अपना परिचालन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आवेदक का संयंत्र बंद होने की स्थिति में, भारत में उपभोक्ता पूरी तरह से निर्यातकों पर निर्भर होंगे।
- डड. घरेलू उद्योग में भारत में मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने की क्षमता है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के हित को आगे बढ़ाएगी।
- चच. निर्यातकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि शुल्क का प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- छछ. निचले स्तर के उत्पाद पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है क्योंकि संबद्ध सामान प्रमुख कच्ची सामग्री नहीं है और परिष्कृत सामानों की लागत का प्रमुख अनुपात नहीं है।
- जज. शुल्क लगाए जाने से भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।
- झझ. चूंकि संबद्ध सामान का आयात चीन जन. गण. से किया जा रहा है, अतः घरेलू उद्योग अनिवार्य रूप से ऐसे उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जो बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन नहीं करता।
- ञञ. चीन जन. गण. सरकार अपने उद्योग को काफी सहायता प्रदान करती है।
- टट. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए कुल लाभ/हानि, नकद लाभ और पीबीआईटी से संबंधित आंकड़ों में कुछ विसंगतियां हैं।

ण.1. प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में किए गए अधिकांश अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और घरेलू उद्योग ने बड़े पैमाने पर पहले के अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण का उत्तर भी नहीं दिया है। प्राधिकारी ने संगत पाई गई सीमा कम तक और अन्यत्र हल न किए गए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है।
106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का है न कि वास्तविक क्षति का। ऊपर नोट किए गए अनुसार, वास्तविक मंदी जांच के उद्देश्य से, प्राधिकारी को पहले यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उद्योग पहले से ही मौजूद नहीं है, अथवा यह कि उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है और उसने अभी तक बाजार में अपना स्थान नहीं पाया है। प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराग्राफ 59 से 66 में यह निर्धारित करने के लिए कुछ संगत कारकों की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग एक स्थापित उद्योग नहीं है। तथापि, प्रकटन विवरण जारी करने के बाद, घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात टिप्पणियां की हैं, जिसमें उसने यह दर्शाया है कि उसके निष्पादन में गिरावट स्टार्ट-अप लागत के कारण नहीं है।
107. वर्तमान मामला एक उद्योग की स्थापना की भौतिक मंदता के लिए है, न कि भौतिक क्षति के लिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भौतिक मंदता जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण को पहले यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उद्योग पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, या यह कि उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है और अभी तक बाजार में अपना स्थान नहीं पाया है। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी आवेदक निर्विवाद रूप से एक मौजूदा और स्थापित कंपनी है, जो कई अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है, जो वर्तमान जांच का विषय नहीं है। हालांकि, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही समय में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, आवेदक

बाजार में एक नया प्रवेशी है। इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, आवेदक कंपनी देश में उसकी एकमात्र और नई उत्पादक है। जैसा कि मोरक्को में डब्ल्यूटीओ पैनल - एंटी-डंपिंग (तुर्की) द्वारा नोट किया गया है, जो महत्वपूर्ण है वह न केवल एक नई उत्पाद लाइन की शुरुआत है, बल्कि उद्योग के मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ ओवरलैप की डिग्री है। विश्व व्यापार संगठन पैनल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कोई आवेदक अस्तित्व में रहा हो और अन्य उत्पादों का उत्पादन करता हो, प्राधिकरण को अभी भी समग्र बुनियादी ढांचे के उपयोग में 'ओवरलैप की डिग्री' पर ध्यान देना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपने परिसर में एक नया स्वचालित संयंत्र स्थापित किया है। लगाए गए संयंत्र और मशीनरी का विवरण आवेदक की परियोजना रिपोर्ट में दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल और उत्पादन प्रक्रिया इसके अन्य उत्पादों से पूरी तरह अलग है, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ किसी भी तरह के ओवरलैप को कम किया जा सकता है।

108. प्राधिकरण ने चार कारकों (मौजूदा सुविधाओं का ओवरलैप, स्थापना का समय, उद्योग का आकार और उत्पादन की स्थिरता) की जांच की है जो यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं कि क्या उद्योग स्थापित किया गया है। मौजूदा बुनियादी ढांचे के ओवरलैप के संदर्भ में, प्राधिकरण ने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि पीयूसी के उत्पादन और आवेदक के मौजूदा बुनियादी ढांचे के बीच कोई ओवरलैप नहीं है। जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री का संबंध है, यह निर्विवाद रूप से एक नया उत्पाद है, और भारत में उत्पादन का कोई पिछला इतिहास नहीं है। पीयूसी का विनिर्माण संयंत्र नवंबर, 2019 में स्थापित किया गया था, लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन केवल जनवरी, 2020 में शुरू हुआ, घरेलू उद्योग बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहा है और इसलिए, इसे मौजूदा उद्योग नहीं माना जा सकता है। इस पैरामीटर पर। इसके अलावा, आवेदक के संबद्ध वस्तु के उत्पादन का आकार वर्तमान में बहुत छोटा है, और इस समय विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थिर नहीं है। इसलिए, उद्योग अस्तित्व में है या नहीं, यह जांचने के लिए प्रासंगिक सभी चार मापदंडों के अनुसार, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि उद्योग एक स्थापित उद्योग नहीं है।
109. प्राधिकरण यह भी मानता है कि एंटी-डंपिंग समझौते के साथ-साथ सीमा शुल्क टैरिफ (एंटी-डंपिंग) नियमों के अनुसार, 'घरेलू उद्योग' की परिभाषा 'समान वस्तु' के संबंध में है। 'घरेलू उद्योग' को '... घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान वस्तु के निर्माण में लगे हुए हैं ...'। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भौतिक मंदता के रूप में क्षति को 'विचाराधीन उत्पाद' या 'समान वस्तु' के संबंध में स्थापित किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन पैनल के निर्णय के साथ उपरोक्त परिभाषा के एक संयुक्त पठन से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों की आवश्यकता है कि समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए भौतिक मंदता की जांच उत्पाद के संदर्भ में की जानी चाहिए, न कि समग्र रूप से आवेदक के संदर्भ में। यह बहुत संभव है कि कंपनी गैर-विषयक वस्तुओं के उत्पादन में पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो। हालांकि जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में उद्योग अच्छी तरह से स्थापित है। पीयूसी के संदर्भ में उद्योग की स्थापना को देश में उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित कंपनी के संचालन की लंबाई को ध्यान में रखते हुए देखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, जहां तक संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग का संबंध है, यह कोई विवाद नहीं है कि आवेदक देश में एकमात्र उत्पादक है और बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में है। इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऊपर जांचे गए सभी मापदंडों पर, आवेदक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कोई मौजूदा उद्योग नहीं है।
110. फार्मास्युटिकल उद्योग में कुछ सबसे बड़े घरेलू और वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अपने व्यापार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि आवेदक फार्मास्युटिकल बाजार में अन्य उत्पादों के उत्पादन में अच्छी तरह से स्थापित है जो जांच के अधीन नहीं हैं। तथापि, जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, घरेलू उद्योग की इन पिछली साख के बावजूद, यह अपने उत्पादन की सीमा तक भी बेचने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग अपने पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अपनी स्थापित स्थिति के बावजूद उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है। उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि 17 वर्षों से अधिक समय से फार्मास्युटिकल बाजार में व्यवसाय में अच्छी तरह से स्थापित कंपनी होने के बावजूद, घरेलू

उद्योग विकसित किए गए नए उत्पाद का लाभप्रद उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं है। आवेदक, फार्मास्युटिकल बाजार में अपनी मौजूदा उपस्थिति से लाभान्वित हो सकता है, तथापि, उसे अभी भी क्षति हो रही है। यह पाटित आयातों के हानिकारक प्रभावों को दर्शाता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित सुरक्षा का स्तर इसके संचालन के स्तर पर विचार कर रहा है और अगर कंपनी नए स्थान पर एक नई कंपनी होती और उत्पादन के किसी अन्य पिछले इतिहास के बिना, निर्धारित सुरक्षा का स्तर अधिक हो सकता था, इस पर विचार करते हुए ऐसी कंपनी का एनआईपी मौजूदा समय में तय से ज्यादा हो सकता था।

111. संबद्ध वस्तुओं के अलावा, घरेलू उद्योग कई अन्य उत्पादों का भी विनिर्माण करता है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अपने मौजूदा परिसर में स्थापित एक नए संयंत्र में हो रहा है। घरेलू उद्योग की कुरकुंभ एमआईडीसी में दो विनिर्माण इकाइयां हैं और कई उत्पादों का उत्पादन करती हैं। इसलिए, निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य एक स्टैंड-अलोन कंपनी और उत्पादन संयंत्र के मामले में जो हो सकता है, उससे कम होना चाहिए। इन कारकों के आलोक में, प्राधिकरण का मानना है कि हालांकि आवेदक पहले से मौजूद कंपनी है, उसने एक नए उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है जो पहले देश में उत्पादित नहीं किया गया था, और जिसकी स्थापना उत्पाद के डंपिंग द्वारा मंद हो रही है। देश।
112. यह तर्क दिया जा सकता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन उत्पादन के स्तर, नकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास की अनुपस्थिति जैसे कुछ मानकों में सकारात्मक है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन देश में पाटन के अभाव में जो हो सकता था उसकी तुलना में बहुत प्रतिकूल है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमा तक बेच सकता था, माल-सूची के ढेर का सामना नहीं कर सकता था और लाभ, नकद लाभ और निवेश पर सकारात्मक लाभ अर्जित करने में सक्षम होता।

त. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

त.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

113. याचिकाकर्ता घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। शुल्क लगाए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ता आसानी से कीमत में हेरफेर कर सकता है और बाजार में एकाधिकार बना सकता है। इससे निचले स्तर पर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो जनहित के विरुद्ध है। शुल्क का कई प्रयोक्ता उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो एमएसएमई और एसएमई क्षेत्र का भाग हैं।

त.2. घरेलू उद्योग के विचार

114. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व घरेलू बाजार में निर्यातकों का एकाधिकार था। उन्होंने इस उत्पाद के लिए अधिक कीमतें वसूल कीं। जैसे ही घरेलू उत्पादक ने बाजार में प्रवेश किया, निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को बाजार में पैर जमाने से रोकने और घरेलू उद्योग को अपना प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर करने के स्पष्ट इरादे से संबद्ध सामानों की कीमत कम कर दी। शुल्कों के अभाव में, घरेलू उद्योग को अपना प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उपभोक्ता को संबद्ध देश के उत्पादकों से संबद्ध सामान खरीदने होंगे।
- ख. संबद्ध सामानों पर शुल्क लगाना जनहित में है। शुल्क से घरेलू उद्योग एक स्थान प्राप्त करेगा और बाजार में अपनी स्थापना करेगा। यदि घरेलू उद्योग अब बाजार छोड़ देता है, तो उपभोक्ता पूरी तरह से संबद्ध आयातों पर निर्भर होंगे। कीमतें उचित और प्रतिस्पर्धी नहीं होंगी। निर्यातक संबद्ध आयातों को अधिक दर पर बेच सकता है।
- ग. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में हाल ही में स्थापित हुआ है। यदि वे पाटित आयातों के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके पास अपना प्रचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- घ. घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। शुल्कों को लागू करने से आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा।
- ड. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि शुल्क लगाए जाने के मामले में, यह विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

च. उत्पाद की खपत प्रमुख फार्मास्युटिकल उद्योगों द्वारा की जाती है। इसलिए, प्रयोक्ता उद्योग एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादक नहीं हैं।

त.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

115. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। उत्पाद का उपयोग फार्मास्युटिकल क्षेत्र में किया जाता है। रिकॉर्ड में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उपभोक्ताओं में केवल एमएसएमई उद्योग शामिल है। किसी भी दशा में, भारत में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पूर्व उत्पाद की कीमत भारत में अधिक थी। इसके अतिरिक्त, भले ही देश में मांग-आपूर्ति का अंतर हो, यह विदेशी उत्पादकों द्वारा देश में उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बनाता। आयात हमेशा तर्कसंगत और उचित कीमतों पर हो सकता है। प्रस्तावित शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करेगा। निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन में उत्पाद की लागत एक प्रमुख लागत नहीं है।
116. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। प्रस्तावित उपाय को लागू करने से पाटन परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग को बाजार में स्थापित करने की अनुमति मिलेगी, इसकी गिरावट को रोका जा सकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

थ. निष्कर्ष और सिफारिशें

117. उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- ख. संबद्ध सामानों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी हुई है। संबद्ध आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद भी संबद्ध आयातों की मात्रा समग्र और सापेक्ष रूप में अधिक बनी हुई है। आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लक्षित कीमतों से कम है जिसके कारण कीमत ह्रास हुआ है। मौजूदा कीमतों पर घरेलू उद्योग अपने लक्षित निष्पादन को हासिल नहीं कर पाएगा। घरेलू उद्योग उस मात्रा तक इस उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम नहीं रहा है जितनी मात्रा तक वह उत्पादन कर सकता था। इसके अतिरिक्त, देश में उत्पाद की काफी मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने द्वारा उत्पादित सीमित सीमा तक भी बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है, और उसके समक्ष काफी मालसूची की समस्या रहा है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानियां हो रही हैं और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही है।
- ग. भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी संबद्ध पाटित आयातों के कारण है।
- घ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल और वास्तविक प्रभाव पड़ेगा, जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं अथवा निचले स्तर के उद्योग या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ङ. हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू के

संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और परिणामी क्षति को दूर के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

119. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990, 29419090	एन, एन'- डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीमाइड*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शेनडोंग हुईहाई फार्मास्युटिकल एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड	497.73	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2.	- वही -	एन, एन'- डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीमाइड*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 में उल्लिखित को छोड़कर कोई अन्य देश	826.75	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3.	- वही -	एन, एन'- डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीमाइड*	चीन जन. गण. को छोड़कर अन्य कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य	826.75	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

*डीसीसी, डायसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडायमाइड, 1, 3-डायसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडायमाइड के रूप में भी ज्ञात।

द. आगे की प्रक्रिया

120. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, उपयुक्त मंच के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th February, 2022

Case No. ADD (OI) - 45/2020

Subject : Anti-dumping investigation (Material-Retardation) concerning imports of "N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" originating in or exported from China PR.

F. No. 06/53/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Clean Science and Technology Limited, erstwhile known as Clean Science and Technology Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner" or the "domestic industry" or the "DI") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" (hereinafter also referred to as "subject goods" or the "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as "subject country"), citing reason of material retardation.
3. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant issued a public notice vide Notification No. 06/53/2020-DGTR dated 25th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury in the form of material retardation to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 25th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as the other domestic producers as per the information made available to it by the applicant, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers / exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating an anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject country and offered an opportunity to them to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:
 - i. Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Company Limited
 - ii. Zhanhua Jiashi Chemical Company Limited
 - iii. Zibo Tiantangshan Chemical Company Limited
 - iv. Zhejiang Tianyu Pharmaceuticals Company Limited
 - v. Xinjiang Da Jiang Run Yang Chemical Company Limited
 - vi. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Company Limited
- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producer from the subject country has responded by filing a questionnaire response:
 - i. Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Company Limited.
- h. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Aurobindo Pharma Limited
 - ii. Mylan Laboratories Limited
 - iii. Hetero Drugs Limited
 - iv. Dasami Lab Private Limited
 - v. Srinu Pharmaceuticals Private Limited
 - vi. Honour Lab
 - vii. Msn Laboratories Private Limited
 - viii. Indswift
 - ix. Aarti Industries Limited
 - x. SMS Lifescience
- i. The Authority also sent initiation notification to the following associations asking them to intimate all their members regarding the initiation of the investigation and submit response or comments, if any.
 - i. Indian Chemical Council (ICC)
 - ii. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
 - iii. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 - iv. Confederation of Indian Industry (CII)
- j. None of the importers and users or associations have submitted response to the questionnaires issued to them by the Authority:
- k. The period of investigation (POI) which was proposed by the applicant for the purpose of present investigation was 1st January, 2020 to 30th June, 2020 (6 months). However, the Authority has considered the POI as 1st January, 2020 to 31st December, 2020 (12 months). The injury investigation period covers the periods April 2017-March 2018, April 2018- March 2019, April 2019-December 2019 and the POI.
- l. The transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the DGCI&S. The Authority has relied upon data of DGCI&S for calculating the volume and value of the imports of the subject goods in India.
- m. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

- n. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing Covid-19 global pandemic.
- o. The domestic industry has submitted the financial data duly certified by the Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the examination carried out on the basis of actual data/information available read with the first-year project report furnished by the applicant. The Authority computed the NIP on the basis of the comparison of the actual data available and the first year of the project report. Optimization is done on the basis of the best capacity achieved out of four quarters during the POI and compared with first year project report of the POI period. Optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price compared to the actual efficient plant capacity at ***% has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove material retardation injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 20th August, 2021 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- q. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 03.02.2022 and the interested parties were allowed time to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings notification.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these Final Findings.
- s. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these Final Findings, to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded these Final Findings on the basis of the facts available.
- v. *** in the NCV of Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 74.86.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

“3. The product under consideration in the present application is Dicyclohexylcarbodiimide, also known as N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide, DCC and 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC), originating in or exported from the subject country. DCC is an organic compound

with chemical formula (C₆H₁₁N)₂C. It is colourless to pale yellow in colour, occurring in liquid or semi solid form and has a sweet odor. Its primary use is to couple amino acids during artificial peptide synthesis. The low melting point of this material allows it to be melted for easy handling. It is highly soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, acetonitrile and dimethylformamide but insoluble in water and the Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number for the subject goods is 538-75-0."

C.1. Submissions of the other interested parties

6. The other interested parties have not made any submissions with respect to the scope of the product under consideration and the like article.

C.2. Submissions of the domestic industry

7. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and the like article:
 - a. The product under consideration is mainly used in amikacin, glutathione dehydrants, as well as in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone, isocyanate.
 - b. It is also used in peptide and nucleic synthesis. It is a key raw material in antiretroviral drugs like Valaciclovir and Amikacin.
 - c. The product under consideration produced by the applicant is the like article to the products imported from the subject country.
 - d. Prior to the establishment of the domestic industry's plant, there was no other producer of the product under consideration, and the entire domestic demand for the product under consideration was catered to by the imports.
 - e. Considering the high prices of the imports of the product under consideration, the domestic industry began production of the product in order to sell it at a lower price.

C.3. Examination by the Authority

8. The product under consideration in the present investigation is Dicyclohexylcarbodiimide, also known as N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide, DCC and 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC), originating in or exported from the subject country. DCC is an organic compound with chemical formula (C₆H₁₁N)₂C. It is colourless to pale yellow in colour, occurring in liquid or semi-solid form and has a sweet odor. Its primary use is to couple amino acids during artificial peptide synthesis. The low melting point of this material allows it to be melted for easy handling. It is highly soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, acetonitrile and dimethylformamide but insoluble in water and the Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number for the subject goods is 538-75-0.
9. This product is mainly used in amikacin, glutathione dehydrants as well as in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate. It is also used in the synthesis of peptides, esters, ethers, nitriles etc. It is a key raw material in antiretroviral drugs like Valaciclovir and Amikacin. DCC is widely used in medical, health, make-up and biological products.
10. The PUC is classified under different custom tariff classification such as 29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990 and 29419090. The PUC, however, has also been imported under many other ITC (HS) codes. The Authority has considered all such ITC (HS) codes. The customs classification is only indicative and not binding in any manner on the scope of the product under consideration.
11. The Authority notes that the applicant is the first producer of the product under consideration in the country and prior to the commencement of the applicant's production, the entire demand for the product under consideration was being met by the imports, most of which came from the subject country. There are no other producers of the product under consideration in the country, and the present application is being filed for examination of the material retardation to the establishment of an industry.
12. The Authority notes that the domestic industry has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no

differences either in the technical specifications, quality, functions or end-users of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like articles’ under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of other interested parties

13. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope and standing of the domestic industry.

D.2. Submissions of the domestic industry

14. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and the standing:
- a. The applicant declared commercial production in November, 2019 but the production of the product under consideration only began in January, 2020.
 - b. Prior to the applicant, there were no other producers of the product under consideration in India, and the entire demand for the subject goods was met with the imports from the other countries.
 - c. The applicant, being the first and the only producer of the product under consideration, holds 100% share in the total domestic production of the subject goods in India.
 - d. The evidence available on record indicates that the applicant satisfies the requirements of standing as per Rule 2(b) and Rule 5 of the Rules.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

16. The present investigation has been initiated pursuant to a petition filed by Clean Science and Technology Limited (previously known as Clean Science and Technology Private Limited) as the sole producer of the subject goods in India. The petitioner declared commercial production in November, 2019. However, it actually began production in January, 2020.
17. The Authority notes that the present application is being filed for examination of the material retardation to the establishment of an industry. The Indian industry for the product under consideration is at a nascent stage and is yet to establish itself in the market. As indicated by the applicant, there are no other producers of the product under consideration in India. The applicant is the sole producer of the subject goods, and therefore, holds 100% of the share of total domestic production of the subject goods. There is also neither any support nor opposition to the present application. The respondent also does not contest the claim of the applicant that it is the sole producer of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that the domestic industry satisfies the necessity of standing as per Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

18. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality.
- a. The petition filed by the domestic industry does not disclose certain essential information which would allow the respondents to adequately make their case.

- b. The domestic industry has claimed excessive confidentiality in its application regarding the costing information.
- c. The non-confidential version of the petition does not allow the interested parties to exercise their right to defense.
- d. Section VI – costing information filed by the domestic industry does not furnish any information whatsoever.
- e. The petitioner has claimed that annual reports and balance sheets are *business proprietary information, not amenable to summarization*. However, it was submitted that the annual reports and the balance sheets are filed before the Ministry of Corporate Affairs annually and are available in the public domain.
- f. Contrary to the petitioner's claim, the respondent does not provide any year-on-year rebate and, therefore, the information in the response filed by the exporter is not insufficient.
- g. The producer has provided all the necessary information in both confidential and non-confidential versions and, therefore, the claim of excessive confidentiality is false.

E.2. Submissions of the domestic industry

19. The domestic industry has submitted as follows with regards to the confidentiality:

- a. The claims that the petitioner has not filed information as required under the relevant Trade Notices is false and must be rejected.
- b. The information contained in the costing formats is business sensitive information that cannot be disclosed to the parties. However, the domestic industry has submitted non confidential versions of the same.
- c. The financial statements produced before the Ministry of Corporate Affairs are not the same as those required by the Authority for trade remedy investigations. The Authority requires more detailed financial statements.
- d. The exporter has suppressed material information and made false claims that it had not received any rebate.
- e. The producer has claimed excess confidentiality and has not disclosed the information regarding corporate structure and shareholding pattern that is available in the public domain.
- f. The producers have failed to disclose the information regarding the volume and the value of the export/import of the subject goods.

E.3. Examination by the Authority

- 20. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
- 21. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

22. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The revised NCV format H was circulated to the other interested parties for clear understanding of the data furnished by the DI on the instructions of the Authority.
23. A list of all the registered interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file is not accessible physically due to ongoing Covid-19 global pandemic.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions of the other interested parties

24. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:
- The Authority has initiated the present investigation with insufficient facts, and has made a wrong assessment for the initiation of the investigation.
 - The requirement as per the relevant provisions of law is that the Authority must be satisfied as to the adequacy of the sufficient information.
 - The initiation notification shows that the Authority was satisfied as to the existence of ‘prima facie’ evidence rather than ‘sufficient’ evidence. This was allegedly the wrong basis to initiate an investigation.
 - The Authority is required to assess the adequacy and accuracy of the information provided in the application and determine whether the information provided is sufficient.
 - Reliance was placed on WTO Appellate Body reports to argue that the application fails to meet the requirements necessary for the purpose of initiation of this investigation.
 - If the Authority imposes an anti-dumping duty, this would lead to a monopoly in the domestic market since there are no other domestic producers of the subject goods.

F.2. Submissions of the domestic industry

25. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:
- The domestic industry is the first and the only industry engaged in the production of the subject goods in India.
 - The domestic industry declared commercial production in the November, 2019, but commenced commercial production only in January, 2020.
 - Prior to the domestic industry's entry into the market, the price of the PUC, which was imported from China was Rs. 1,117/kg. However, after the establishment of the domestic industry's plant, the price of the imported goods has drastically reduced.
 - There is clear indication that the producers are engaging in predatory pricing, and their intention is to drive the domestic industry out of the market.
 - The domestic industry is in a position to meet the entire demand of the subject goods in India.
 - The price of the subject goods exported by the domestic industry is much higher than the price at which the subject goods have been sold within the country.

- g. The Authority is required to only determine the accuracy of the information provided in the application and is not required to conduct a detailed inquiry before initiation of an investigation.
- h. The domestic industry has relied upon the orders of the Tribunal to argue that the Authority must only satisfy itself of a *prima facie* case before initiation of an investigation.
- i. The monopoly prices were charged by the importers of the subject goods before the domestic industry commenced commercial production.

F.3. Examination by the Authority

- 26. The Authority notes that the present investigation is one for material retardation to the establishment of an industry. Therefore, the Authority would conduct the injury analysis on that basis. The Authority will also assess whether the domestic industry has been established or not.
- 27. With respect to the claim of the domestic industry that the prices of the imported subject goods decreased after it commenced commercial production, the Authority has examined the same and has conducted a detailed injury analysis.
- 28. With respect to the contention that the Authority has initiated the present investigation based on 'prima facie' evidence and not 'sufficient evidence', the Authority notes that prior to initiation of the present investigation, the Authority conducted a *prima facie* scrutiny of the application filed by the domestic industry and upon being satisfied as to the sufficiency of the information/evidence provided to the Authority, it decided to initiate the investigation. The relevant portion of the initiation notification is as under:

Initiation of Anti-Dumping Investigation

- 16. *On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the **prima facie** evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, material retardation/injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and material retardation/injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the material retardation/injury to the domestic industry.*
- 29. The Authority further notes that the mere use of the words 'prima facie' in the initiation notification rather than 'sufficient evidence' as claimed by the producer/exporter does not have a bearing on the outcome of the Authority's assessment of the application. The Authority finds that this contention of the producer is without any basis. The Authority notes that apart from merely making the claim that a 'prima facie' satisfaction is not the same as 'sufficiency' requirement, the producer/exporter has not provided any indication of the manner in which the Authority had faulted in proposing to initiate the investigation. Nor has the exporter/producer indicated the defects/deficiencies in the application of the domestic industry which warrant its rejection. Therefore, this claim of the exporter/producer is without any basis.
- 30. Notwithstanding the use of the word 'prima facie' in the initiation notification, the Authority reiterates that it had initiated the present investigation after complying with all the legal requirements contained in the Statutes, and the relevant judicial pronouncements.
- 31. With regards to the submission that the anti-dumping duty will result in a monopoly for the domestic industry, the Authority notes that before the domestic industry entered the market, there were no Indian manufacturers of the subject goods. The entire demand for the subject goods was being catered to by the imports, mostly from the subject country. Therefore, the importers from the subject country almost had a monopoly in the Indian market for the subject goods before the domestic industry entered the market. The domestic industry's entry and existence in the market would only enrich the competition between the exporters and the domestic industry.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

32. Under Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

“(c) “normal value”, in relation to an article, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

G.1. Submissions of the other interested parties

33. The other interested parties have submitted as follows with regards to the normal value, the export price and the dumping margin.

- a. Designation of China PR as a Non-Market Economy (NME) is not in accordance with applicable laws and procedures.
- b. The relevant provision in Section 15 of China’s accession protocol which allowed for treatment of China PR as an NME has expired on 11th December, 2016. Therefore, there are currently no provisions prevailing which allow the Authority to treat China PR as an NME in any investigation.
- c. China has been treated as a Market Economy by the US and EU.
- d. Even if the Authority determines that China is a non-market economy for the purpose of this investigation, the Authority cannot directly resort to calculating the normal value based on the third methodology in Paragraph 7 of Annexure I to the Rules (i.e., *on any other reasonable basis*).
- e. The basic principles of treaty interpretation require China’s Accession Protocol to be interpreted in a fair manner.
- f. The issuance of a supplementary questionnaire to prove market economy status is against India’s international obligations.

G.2. Submissions of the domestic industry

34. The domestic industry has submitted as follows with regard to the normal value, the export price and the dumping margin:

- a. China PR should be treated as an NME in accordance with Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol, and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
- b. Paragraph 8 of Annexure I to the Rules leaves no choice to the Authority to presume that China is an NME, unless the exporters prove otherwise. Therefore, regardless of the expiry of Section 15(a)(ii) of China’s accession protocol, the Authority is bound by Paragraph 8 to presume that China is an NME.

- c. Market economy status is not automatic upon the expiry of Section 15(a)(i), but rather it would require China's compliance with the other provisions of Section 15 of the Accession Protocol.
- d. The market economy claim of the exporter should not be accepted, as there is significant government intervention in several important sectors of the Chinese economy, warranting the maintenance of non-market economy status of China.
- e. The market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.
- f. The market economy claim of the producers from China was rejected on the same basis in several recent investigations.
- g. The market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
- h. The market economy treatment must be rejected if the Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with the International Accounting Standards.
- i. It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under the market economy conditions.
- j. The market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group has not filed the response, the claim for market economy status must be rejected.
- k. The normal value in China can thus be determined on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, including the selling, general and administrative expenses and profit as per the consistent practice of the DGTR.
- l. The responding exporter has not claimed market economy treatment by filing the necessary responses to the questionnaire. Therefore, it must be presumed that the subject country is an NME.
- m. As per paragraph 7 of Annexure I to the Rules, the normal value in cases of NME must be constructed by: (a) price or constructed price in a market economy third country; (b) export prices from third country to other country, including India; (c) any other reasonable basis.
- n. Since there is no information to construct the normal value through the first two methods, the domestic industry has proposed construction of the normal value based on the third method, i.e., *on any other reasonable basis*.
- o. Owing to the dumped imports of the subject goods in India, the price paid in India is not reflective of the appropriate price. Accordingly, the normal value must be determined based on the price payable in India.
- p. The petitioner has proposed to consider the cost of production of the domestic industry, along with a reasonable addition for profits.

G.3. Examination by the Authority

- 35. The Authority had sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. Only Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. has filed the response to the exporters' questionnaire. However, the supplementary questionnaire has not been filed.

G.3.1. Determination of the Normal Value

Examination of Market Economy Treatment

- 36. The Authority had sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. None of the producers have filed response to the supplementary questionnaire for claiming the market economy treatment.

Normal value for China PR

37. Section 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

38. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

39. As per the current international framework emerging from Section 15 of China's Accession Protocol, there is no restrictions in treating China as an NME. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol requires the criteria stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. Furthermore, Paragraph 8 of Annexure I create a presumption that China PR must be treated as a

Non-Market Economy. Therefore, the burden is on the respondent to prove that Market Economy Conditions prevail in the subject country. It is noted that since the responding producer/exporter from China PR has not submitted the response to MET/Supplementary questionnaire in the form and manner provided, the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.

40. As none of the producers from China PR has claimed determination of the normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

7. *In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

41. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure I stipulate three methods of constructing the normal value for Non-Market Economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of para (7), the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine the normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
42. The Supreme Court has held that as per paragraph 7 of Annexure I to the Rules, the Authority may move to the alternative methods only when it has exhausted the first two methods, that is, the price or the constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from a surrogate country to third countries, including India. However, it is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and the second methods. There is no public data available to the Authority to determine the normal value from the above two methods. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., *on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India*. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.
43. The Authority has constructed the normal value taking into consideration the highest achieved capacity out of the four quarters during the POI (i.e., ***% capacity utilization). The costs and other expenses have been normated to reflect the highest performance out of the four quarters during the POI. The normal value determined accordingly has been mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2. Determination of the Export Price

Export price for Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

44. Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. has exported *** MT of the subject goods directly to the unrelated customer in India during the POI. The exporter has claimed adjustments on account of inland transports, port expenses, credit cost, custom declaration expenses, ocean freight and marine insurance wherever applicable, which has been accepted by the Authority. The net export price determined accordingly has been mentioned in the dumping margin table below.

Export price for non-cooperating producers/exporters from China PR

45. The export price for all other producers and exporters has been determined on the basis of the facts available.

G.3.3. Determination of Dumping Margin

46. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is to be determined as follows:

SN	Name of Producer	Constructed Normal Value @ ***% plant capacity	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
China PR						
1.	Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
2	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	***	10-20

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions by the other interested parties**

47. The other interested party has submitted as follows with regards to the injury and the causal link:
- The domestic industry cannot claim injury on the basis of material retardation to the establishment of an industry since it has already commenced commercial production, and is, therefore, not an 'unestablished industry'.
 - The Authority must first examine whether the petitioner was yet to find a way into the market or was already established.
 - The injury caused to the petitioner is due to start-up costs, price of raw materials and the buyer's market.
 - The data provided by the petitioner only indicates the normal start up conditions, and the petitioner cannot immediately achieve sales and the market share.
 - There is no increase in the volume of the imports from the subject country during the POI.
 - The petition itself indicates that there is negative price undercutting during the POI. This indicates that the landed price is higher than the non-injurious price.
 - Since this is the case of material retardation, there would be no information regarding the production, capacity utilisation, sales, inventories, market share and the employment. Therefore, there is no basis to claim injury.
 - The exporter reduced its prices after the domestic industry entered the market so that it can compete with the prices of the domestic industry. Therefore, it is the domestic industry that is the price setter, and the exporter is merely responding to the prices set by the domestic industry.
 - The costs of the domestic industry are inflated due to inefficiencies associated with a new plant, low-capacity utilisation and the start-up costs.
 - The domestic industry has admitted that its manufacturing plant was shut down during March, 2020 and April, 2020 due to lockdown. Therefore, the injury to the domestic industry is due to Covid-19 related restrictions.

H.2. Submissions by the domestic industry

48. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and the causal link:

- a. Since the domestic industry has just commenced commercial production, it is at a nascent stage of production and, therefore, it cannot be considered to be an established industry.
- b. The analysis must be that of material retardation to the establishment of an industry.
- c. For material retardation criteria to apply, the industry must be unestablished. It is not necessary that an unestablished industry is the one where no production has commenced.
- d. There may be two types of unestablished industries: (a) a developing industry which has not yet commenced commercial production but has made a commercial commitment to commence production; and (b) a nascent industry that has commenced commercial production but is yet to establish itself in the market.
- e. The domestic industry began commercial production in November, 2019 and is yet to establish itself in the market.
- f. In examining whether a nascent industry has been established or not, the Authority is required to look at the time for which the industry has been operational, whether there is steady production, the amount of production as compared to capacity, whether the domestic industry has achieved its breakeven point and whether the production is intermittent.
- g. The volume of the imports increased over the injury period even though the domestic industry set up its plant and commenced production.
- h. There is a substantial increase in the volume of the imports during the month of June, 2020, six months after the domestic industry commenced commercial production.
- i. Despite the fact that the domestic industry has the capacity to cater to 89% of the total domestic demand, the volume of the imports accounts for almost all of the consumption in India.
- j. As compared to 2018-19, the price of the subject goods decreased by 51% during the POI. Further, there was a reduction in price by 25% between November, 2019 and June, 2020.
- k. There is positive price undercutting, and this undercutting is not allowing the domestic industry to achieve its targeted prices as per its projection.
- l. The import price is much below the projected selling price at 70% capacity. Furthermore, the subject goods are being imported into the country at below the cost of production.
- m. Even taken at the optimal capacity utilization of 70%, there is significant price underselling.
- n. The economic injury parameters have been assessed based on the projections. There are significant losses, negative return on investments and cash profits even at 70% capacity utilization.
- o. The domestic industry is a new entrant in the market and, therefore, it would be forced to set the prices according to the existing market players.
- p. The export price of the domestic industry is much higher than the domestic sales price in India.
- q. The subject imports are below the costs of sales of the domestic industry.
- r. Owing to the dumped imports, the domestic industry has been able to achieve a capacity utilization of only ****%. It has achieved a market share of only ****% when it has the capacity to cater to almost 90% of the domestic market.
- s. Even the post-POI data shows that the market share of the domestic industry is less than one-fourth. The domestic industry has been selling at a loss and its export sales are more profitable than the domestic sales.
- t. The price of the major raw material of the subject good has increased beyond the landed price of the goods.
- u. The purchase orders from the domestic industry's customers/user industry are much below the cost of sales even at 70% capacity utilization.

H.3. Examination by the Authority

49. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the present case is one for

material retardation of the establishment of an industry and not of material injury. There is a need to address certain legal aspects regarding the concept of 'material retardation' to the establishment of an industry prior to proceeding with the injury analysis.

H.3.1. Material retardation of establishment of industry

50. Article 3 of the WTO Agreement on the implementation of Article VI of the GATT provides no definition for 'material retardation'. The footnote 9 to Article 3 merely states as follows:

Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.

51. Similar is the case with the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, wherein Annexure II merely clubs 'material injury', 'threat to material injury' and 'material retardation' under the definition of 'injury'. There is no further explanation as to what constitutes material retardation to the establishment of an industry.

52. However, it is clear that 'material retardation' applies only to unestablished industries and not industries that are fully established. This is true because it is not logical for the Authority to find that a domestic industry was being injured by the dumped imports (which presupposed that such an industry was already established) and at the same time that the establishment of a domestic industry was materially retarded by those imports. The meaning of 'unestablished industries' has also not been provided in the Anti-Dumping Agreement, or the Act and the Rules. However, there has been a proposal at the WTO for amendment of the Anti-Dumping Agreement which provides some clarity as to the meaning of material retardation and establishment of the industry. The relevant portion of the draft proposal is as under:

"3.9. A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies.

53. Although the above extract is merely a proposal and not binding on the Authority, it would serve as a guidance in conducting an examination of material retardation. Furthermore, the above proposal has been relied upon by the DGTR in the investigations concerning SBR Rubber and Fibre Boards.

54. From the above extract, it may be possible to discern the meaning of 'material retardation' and 'unestablished industry' or 'establishment of an industry'. The Authority notes that it is not necessary that an 'unestablished industry' should be one where production has not commenced. There could be circumstances where an industry has already commenced commercial production but it has not achieved commercial presence in the market. This may be considered to be an 'unestablished industry' as well and the material retardation analysis would be necessary in such cases. This is implicit from the second sentence to proposed Article 3.9 and the footnote No. 14 of the WTO's proposed amendment extracted above. Furthermore, in the SBR investigation the Authority has noted as follows:

"71. While the test of material injury or threat of material injury can be applied to an existing domestic industry or to the extent of operations that the domestic industry has had in the past, in the case of domestic industry yet to be fully established, the test to be applied is that of material retardation. The Authority notes that the following two conditions are relevant where the test of material retardation may be applicable:

(i) in case of “developing industry” which has not yet begun commercial production but substantial commitment to commence production has been made;

(ii) in case of “nascent industry” whose commercial production although has begun but the industry has yet to find its place in the market.”

55. The United States follows a similar approach in material retardation investigations. The practice mentioned in the US Handbook on procedure is:

“Petitioners may allege that the establishment of an industry in the United States is materially retarded by reason of imports, or sales (or the likelihood of sales) for importation, of the subject merchandise. The statute does not define “material retardation;” however, in considering this issue in past cases, the Commission has begun by examining the question of whether the U.S. industry is “established.” If U.S. producers have commenced production of the product, the industry is considered to be established if U.S. producers have “stabilized” their operations. In making this assessment, the Commission has examined the following factors: (1) when the U.S. industry began production; (2) whether the production has been steady or start-and-stop; (3) the size of domestic production compared to the size of the domestic market as a whole; (4) whether the U.S. industry has reached a reasonable “break- even point;” and (5) whether the activities are truly a new industry or merely a new product line of an established firm. If the industry is not established, the Commission considers whether the performance of the industry reflects normal start-up difficulties or whether the imports of the subject merchandise have materially retarded the establishment of the industry.”

56. In Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel has given some guidance on determining whether there is establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. The Authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.

57. The issue before the Panel was regarding the “establishment” of an industry for the purpose of determination of “material retardation”. The Panel observed that the Authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new ‘product line’ of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered as an “unestablished industry”. To examine this factor, the Authority would have to look into the degree of overlap in the use of overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). A greater degree of overlap with the old infrastructure would mean that it is less likely that a new industry has been established. The relevant portion of the Panel’s observation is as under:

*7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or whether they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic industry is unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the domestic industry is the only producer of the like product in question in the market. **At the same time, we note that whilst there could be only one producer of that product in the market, where that product constitutes merely a new “product line” of an existing industry and benefits from the existing production, marketing and other operations, such shared operations may play an important role in determining whether a distinct new industry has been established. If an existing industry chooses to introduce a new product unlike any other product currently being produced, the introduction of that new product will not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be perceived as the introduction of a new product line into the existing industry, depending on the degree to which the overall infrastructure (including the productive, commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is implicated. The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely the perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new industry.** The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing producers of that like product in the domestic market, does not preclude the*

possibility of that domestic industry utilizing existing infrastructure, such as customer contacts and distribution channels, in its introduction of that like product in the domestic market.

58. Therefore, one of the aspects that has to be seen in determining whether or not the industry is in existence is whether the product constitutes merely a new product line within an existing industry. If this is the case, the Authority must analyse the level of overlap with the overall use of the existing infrastructure in the new product line.

59. With regard to the injury assessment, the WTO Panel has given the following guidance:

7.233. Further, we consider that the obligation in Article 3.4 to evaluate each of the listed 15 injury factors applies as much to an investigation of injury in the form of material retardation as it does to that of material injury or threat of material injury. This is so for the following reason: Article 3.1, read in light of footnote 9 of the Anti-Dumping Agreement, requires that a determination of material retardation be based on positive evidence and objective examination of inter alia "the consequent impact of [dumped] imports on domestic producers". As explained above, the examination of the impact of dumped imports on domestic industry, in turn, must, in accordance with the terms of Article 3.4, include an evaluation of all relevant factors including the 15 injury factors listed in that provision. It follows that a determination of material retardation must be based on an examination of the impact of dumped imports on domestic producers, and that examination must include an evaluation of the 15 injury factors listed in Article 3.4. Our approach is consistent with the finding by the panel in Egypt – Steel Rebar that "the Article 3.4 factors must be examined in every investigation, no matter which particular manifestation or form of injury is at issue in a given investigation". Nothing in the text of Article 3 supports Morocco's argument that an investigating authority is not required to address the Article 3.4 factors "with the same rigor" in a material retardation analysis as in a material injury analysis."

H.3.2 Material retardation to the establishment of the Domestic Industry in the present investigation

60. The Authority notes that prior to the domestic industry's entry into the market for the subject goods, the entire demand for the subject good in India was being satisfied by the imports, mostly from the subject country. The domestic industry had set up its plant in November, 2019, but commenced commercial production in January, 2020. There is no other domestic producer of the subject goods in India. In order to ascertain whether the domestic industry is an unestablished industry or an existing industry, the Authority has examined the following factors:

a. When the domestic industry began its production?

61. As submitted by the domestic industry, its manufacturing plant was set up in November, 2019, but commercial production commenced only in January of 2020. The production of the subject goods began only during the POI, and there have been no other domestic producers of the subject goods. Although the production of the subject goods has commenced, the production has not reached substantial commercial volumes. Therefore, it is clear that the domestic industry has been in existence for a very short period of time, and cannot be considered to be an existing industry on this parameter.

b. Whether the production of the subject good is merely a new product line in an existing industry?

62. The WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the production of the product under consideration. The applicant was incorporated in the year 2006, and its first plant was set up in 2009. Apart from the subject goods, the applicant also produces various other products, and also exports its products to 25 other countries. The applicant has two units operating in Kurkumbh MIDC, Pune. The applicant has stated that for the production of the subject goods, it proposes to set up a new automated plant in the same premises of its existing facilities. The details of the plant and machinery that is proposed to be set up is given in the project report submitted by the applicant. The Authority notes that the PUC is a newly introduced chemical product among a series of other products manufactured by the domestic industry. As submitted by the domestic

industry, its manufacturing plant of the PUC was set up in November, 2019, but commercial production commenced only in January, 2020. Therefore, the domestic industry has been in existence for a very short period of time, and cannot be considered to be an existing industry on this parameter.

63. As noted above, the WTO Panel has observed that what is important is not the introduction of a new product line itself, but rather the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry. The Authority also notes that since a new plant/production line is being set up to manufacture the product under consideration in the same premises, the domestic industry may be making utilization of its existing management/infrastructure to manufacture the product under consideration.

c. Size of production compared to the size of the domestic market as a whole

64. The applicant is the only Indian producer of the subject goods. However, the market share claimed by the applicant during the POI is merely ***, and the imports from the subject country were more than 4 times the total domestic production. As per the DGCIS data including the various HS codes under which the PUC was imported, the market share of the applicant reflects as ***% during the POI.

d. Stability of production

65. The Authority notes that the production of the applicant has commenced only during the POI, and the production on a month-on-month basis does not give indication that the production of the applicant has been increasing. The applicant has also indulged in the exports of the PUC during the POI.
66. The Authority notes that since the manufacturing plant of the PUC was set up in November, 2019 but commercial production commenced only in January, 2020, the domestic industry has been in existence for a very short period of time and, therefore, it cannot be considered to be an existing industry on this parameter. The Authority notes though the company is undisputedly an existing and established company, engaging in the production and sale of a number of other products, which are not the subject matter of the present investigation, yet at the same time, there is no dispute that as far as the product under consideration is concerned, the applicant company is the sole and new producer of the same in the country. As far as the production and sale of the product under consideration is concerned, the same is undisputedly a new product and with no past history of production. Further, the domestic industry is required to be considered in relation to a company engaged in production of like article in India. The rules require that the effect of the dumped imports should be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permits separate identification of that production. Thus, material retardation to establishment of the domestic industry is required to be examined with reference to the product and not with reference to the company. It is quite possible that the company is already well-established. What is however relevant is whether the industry with reference to the product under consideration is well established. The establishment of the industry with reference to PUC is required to be seen considering the length of operations of the company concerning the production and sale of the product in the country. Undisputedly, on this account, there is no dispute that the industry is a new industry with regard to product under consideration.
67. The Authority has examined four parameters (time period of production, overlap of existing infrastructure, size of production and stability of production) which are relevant for determining whether or not the industry has been established. Based on a thorough assessment of all four parameters, the Authority concludes that the Applicant is not an established industry, but is a new and nascent industry in the production of the product under consideration.
68. The Authority conducted the injury analysis based on the legal position discussed above. The Authority notes that the domestic industry has not been able to provide the information regarding injury parameters since it has been in existence for a very short period of time. The domestic industry has, therefore, proposed to conduct the injury analysis based on projections of its performance as per its project report. The examination by the Authority has been made on the basis of best achieved plant capacity (i.e., ***% capacity utilization) among all four quarters during the POI. Although this methodology in evaluating the injury parameters would take into consideration

start-up costs, inefficiencies and low-capacity utilization associated with new industries, since the domestic industry was not in existence during the injury investigation period, the Authority has examined each parameter on a quarterly basis during the POI. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

I. ASSESSMENT OF DEMAND / APPARENT CONSUMPTION

69. For the purpose of the present investigation, on the basis of the data received from the DGCI&S, the Authority has defined the demand or the apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and the imports under various tariff heads from all sources. The Authority notes that there is some data variation between the data provided in application and the DGCI&S data received by the DGTR. The Authority considered the total imports made under different tariff heads, which was not available in the data provided to the applicant by the DGCI&S. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19 (A)	Apr'19-Dec'19	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Sales of domestic industry	Kgs	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	-	100	1,387	7,386	5,808
Subject imports	Kgs	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	66	66	130	100	91	96	85
Other Countries imports	Kgs	***	-	***	***	***	***	***	-	***
Trend	Indexed	100	-	168	168	1	100	10	-	5
Total Demand	Kgs	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	66	66	144	100	94	116	101
Market share of domestic industry	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	1,469	6,380	5,766
Market share of Subject imports	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	99	99	91	100	96	83	84
Market share of other countries imports	%	***	-	***	***	***	***	***	-	***
Trend	Indexed	100	-	252	336	0	100	10	-	5

70. It is seen that the total demand for the subject goods has increased from 2017-18 to 2018-19. In the calendar year 2019, the demand for the subject goods has been low. However, the demand has increased during the POI to the highest level. Although the volume of the imports overall has dipped during the year 2019, the volume of the imports from the subject country during the POI is substantially higher than the sales of the domestic industry. Furthermore, the domestic industry has submitted that it has the capacity to cater to 89% of the total domestic demand. However, due to the imports, the domestic industry has only ***% share in the domestic market. The Authority however notes that with respect to the total demand in India, the domestic industry may not cater to

89% of the domestic demand. Even at DI's most optimum level of production during the POI, (i.e., at 70% capacity utilization), the production of the domestic industry would be *** Kg, which is about ***% of the total demand that is also achievable in the fifth year only as per the project report furnished by the DI. Moreover, taken at 80% capacity utilization, the production of the domestic industry would be *** Kg. It is seen that even at an overestimated capacity utilization, the volume of subject imports is much higher than the potential domestic production. However, the capacity to cater the domestic market by the domestic industry even at 80% capacity utilization would be ****% only.

J. VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

71. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19 (A)	Apr'19-Dec'19	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Subject Country-China PR	Kgs	8,03,800	10,06,767	5,30,080	3,97,560	10,45,780	2,81,407	2,55,675	2,69,434	2,39,264
Trend	Indexed	100	125	66	66	130	100	91	96	85
Others	Kgs	3,996	-	6,701	5,026	24	21	2	-	1
Trend	Indexed	100	-	168	168	1	100	10	-	5
Total Imports	Kgs	8,07,796	10,06,767	5,36,781	4,02,586	10,45,804	2,81,428	2,55,677	2,69,434	2,39,265
Trend	Indexed	100	125	66	66	129	100	91	96	85
Subject Imports in relation to										
Total imports	%	100	100	99	99	100	100	100	100	100
Trend	Indexed	100	100	99	132	100	100	100	100	100
Indian Production	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	87	53	45
Indian Demand	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	99	132	91	100	96	83	84

72. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from the subject country has been substantial throughout the investigation period. Major imports are from the subject country only. During the time when the production of the domestic industry commenced, the imports from the subject country were more than *** times the domestic production. However, it is seen that DI is able to secure almost ****% market share in the total demand.

K. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

73. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the

dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of the imports from the subject country with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

74. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

China	UoM	POI
Net Sales Realization	Rs. /Kg	***
Landed Value	Rs. /Kg	589
Price Undercutting	Rs. /Kg	(***)
Price Undercutting	%	(***)%

75. It is noted that price undercutting is negative for the subject country in the period of investigation. However, the domestic industry has stated that it has been forced to sell the product under consideration at a very low price due to the allegedly dumped imports. The domestic industry has stated that it intended to sell the product under consideration at Rs. 900 per Kg, but was constrained to sell it at a lower price. Furthermore, the domestic industry submits that the exporters/producers initially sold the subject goods at a much higher price, but have reduced the price after the domestic industry entered the market. The Authority notes that DI is selling the PUC in the market below the landed value of the PUC from the subject country.
76. The Authority further notes that even when the price undercutting is negative, still the DI can suffer injury as it has been forced to sell the product under consideration at a very low price due to the allegedly dumped imports.

b. Price suppression/depression

77. In order to determine whether the effect of the imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the costs and prices over the injury period have been compared with the landed value.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	Apr' 20 – Dec' 20 (POI)	POI (A)
Landed Value	Rs/Kg	600	1,281	1,231	589	589
Trend	Indexed	100	213	205	98	98
Net selling price of domestic industry	Rs/Kg				***	***
Trend	Indexed	-	-	-	100	100
Cost of Sales	Rs/Kg	-	-	-	***	***
Trend		-	-	-	100	100

78. The domestic industry has projected a price of Rs. 900 per kg. However, the landed value of imports is Rs. 589 per kg in the period of investigation. The Authority focuses on such reasons as well that the domestic industry is in a situation of price suppression and not able to raise the sales price to the projected level. However, it is noted that DI is not in a situation of price depression since the landed value is higher than selling price of DI.

L. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

79. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales

80. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19 (A)	Apr'19-Dec'19 (A)	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Capacity Per annum	Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	100	111	133
Production	Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	105	180	187
Capacity Utilization	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	105	162	140
Domestic Sales	Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	1,387	7,386	5,808

81. The Authority notes that the domestic industry has a total capacity of ***Kg. The capacity utilization of the domestic industry has remained at near to projected level of ***% during the POI.

b. Market share

82. The market share of the domestic industry and the subject imports is compared below. There are no other domestic producers of the product under consideration.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19 (A)	Apr'19-Dec'19 (A)	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Domestic Industry	%	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	1,469	6,380	5,766
Subject Countries	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	99	99	91	100	96	83	84
Other countries	%	***	-	***	***	***	***	***	-	***
Trend	Indexed	100	-	252	252	0	100	10	-	5
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

83. It is seen that the market share of the domestic industry has started growing after the commencement of the commercial production. The market share of the domestic industry during the period of investigation was only ***%.

c. Inventories

84. The inventories with the domestic industry over the injury period are as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19	Apr'19-Dec'19 (A)	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Opening	Kg	-	-	-	-	-	-	***	***	***
Closing	Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Average Inventory	Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	141	225	340

85. It is seen that the inventories of the domestic industry have shown a consistent pattern of growth throughout the period of investigation, indicating an accumulation of stock on a quarterly basis.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

86. The profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19	Apr'19-Dec'19 (A)	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
Cost of sales	₹/Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Selling price	₹/Kg	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	89	78	78
Profit per unit	₹/Kg	-	-	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-	-	-	-	(100)	(100)	(307)	(524)	(532)
Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	-	-	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-	-	-	-	(100)	(100)	(4,259)	(38,675)	(30,906)
Cash Profit	Rs. Lacs	-	-	-	-	***	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-
Profit before Interest and tax	Rs. Lacs	-	-	-	-	(***)	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-
Return on Capital Employed	%	-	-	-	-	(***)	-	-	-	-
Trend	Range	-	-	-	-	(0-10)	-	-	-	-

87. The cost of sales of the domestic industry is Rs. ***/Kg. However, the selling price of the domestic industry during the POI (and in each quarter) is below the cost of sales – indicating that the domestic industry is incurring losses. The Authority notes that the profits per unit and the return on capital employed have not only remained negative but also been below the projected levels throughout the POI.

e. Employment, wages and productivity

88. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	Apr'19-Dec'19	Apr'19-Dec'19 (A)	POI	POI (Q1)	POI (Q2)	POI (Q3)	POI (Q4)
No. of Employees	Nos.	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	122	116	113
Salaries & Wages	Rs. Lacs	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	1,240	5,779	4,520
Productivity per day	Kg/Day	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100	100	105	180	187

89. It is seen that the number of employees of the domestic industry has mostly remained the same. The productivity per day has increased on a quarterly basis.

f. Growth

90. It is noted that both the volume and profitability parameters of the domestic industry have witnessed negative growth in the period of investigation. The applicant has claimed that such decline in the period of investigation is due to the impact of Covid-19 pandemic. However, the plant of the domestic industry was shut down only for 10-12 days due to Covid-19 pandemic and the total domestic demand has increased to its highest level during the POI.

g. Ability to raise capital investment

91. The Authority notes that the ability of the domestic industry to raise capital investment has not been affected due to the subject imports in the POI.

h. Factors affecting prices

92. The Authority notes that the volume of imports during the period of investigation was significant and, therefore, may have created a strain on the prices of the domestic industry. The selling price of the domestic industry may have been affected by the subject imports.

i. Magnitude of dumping

93. It is noted that the subject goods are being dumped into India with respect to actual performance of the applicant industry and also when optimized to the quarterly capacity utilization during the POI.

M. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

94. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of the injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

SN	Name of producers	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
China PR						
1	Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
2	Non-cooperative residual exporters	***	***	***	***	20-30

N. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

95. As per the Rules, the Authority, inter-alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury, which has resulted in the material retardation to the establishment of the domestic industry:

a. Volume and price of imports from third country

96. The Authority notes that the imports from third country are miniscule and do not affect the analysis whatsoever. The imports from third country after the year 2017-18 have been nil, and the subject country is the only country that is exporting the subject goods into India.

b. Contraction in demand

97. It is noted that the demand of the subject goods was increasing at a healthy rate. The demand for the subject goods during the POI is far higher than any previous years examined.

c. Changes in pattern of consumption

98. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration which is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

99. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e. Startup costs, inefficiencies associated with newly established industries

100. The Authority notes that the present investigation is one for material retardation. The domestic industry has declared commercial production in November, 2019, but commenced commercial production in January, 2020. In the case of material injury investigation, the Authority examines the injury period of 3 years and the POI for determination of injury, however, since the industry has been established only in 2019-20 and no such material injury data is available. Therefore, the domestic industry has produced evidence of injury parameters on a quarterly basis during the POI. The domestic industry is at a nascent stage of production, and is incurring operational and startup costs associated with a newly established industry, and if the Authority constructs the normal value taking into considerations the highest achievable capacity at the projected level of 70%, it would reduce the cost. The Authority has conducted the injury analysis based on the best achieved capacity of the domestic industry among all four quarters of the POI (i.e., ***% capacity utilization). The Authority notes that start-up costs, inefficiencies and low-capacity utilization associated with new industries is a relevant factor in determining causality of the injury.

f. Developments in technology

101. The Authority notes that there has been no material change in the technology for the production of the product.

g. Export performance

102. The domestic industry has stated that it exports its products to over 25 countries across the globe. Further, the domestic industry also exported significant quantities of the subject goods manufactured by it during the POI. However, the Authority considered only the domestic sales for injury analysis.

h. Productivity

103. The Authority notes that the productivity of the domestic industry was maintained at the projected levels during the POI even though there was shutdown of plant for almost 10-12 days during the POI.

O. POST-DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS:

104. The other interested parties have not submitted any post disclosure statement comments. Only the domestic industry has made the following comments on the disclosure statement issued by the Authority. The submissions made by the domestic industry are summarised as under:

- a. Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Co. Ltd. provides a rebate of US\$1 per kg to Indian customers, and the contrary claims by the exporter is false.
- b. The volume of the subject imports has increased by 30% during the POI as compared to the base year.
- c. Although the imports have not depressed the prices of the domestic industry, the low-priced imports have forced the domestic industry to sell the subject goods below its target price.
- d. The month-wise data shows that price undercutting is positive for 6 months, and negative for 5 months.
- e. Despite the capacity utilisation of the domestic industry being at nearly the projected levels, it is able to sell only 47% of its production in the domestic market.
- f. Even with all the domestic sales and the export sales combined, the inventories of the domestic industry stand at 38% of the total production.
- g. The domestic industry is unable to capture the potential market share due to the dumping of the subject goods. Even at the projected capacity utilisation, the domestic industry would lose market share.
- h. The domestic industry has the potential to cater to 69% of the demand in India at optimum capacity utilisation. However, during the POI, the market share of the domestic industry was 12%, and during the post-POI period, market share was 24%.
- i. The total production capacity of the domestic industry is enough to cater to almost 90% of total domestic demand.
- j. Even at 80% capacity utilisation, the market share of the domestic industry would be 5.86 times its current market share.
- k. Even at the optimum capacity utilisation, the domestic industry will incur losses and record negative return on investment.
- l. The imports have increased significantly even after the domestic industry had commenced production.
- m. The import prices were reduced by 52% after the domestic industry entered the market. As a result, the domestic industry was forced to sell below its cost of production.
- n. The imports are priced below the domestic industry's actual as well as potential cost of production and sales.
- o. The price of the domestic industry's goods is far below its targeted price.
- p. While sales of the applicant have shown positive growth, the profitability parameters have declined.
- q. The price of the major raw material, i.e., cyclohexylamine has increased, and is now priced higher than the landed value of the subject goods.
- r. The domestic industry has also not been able to benefit from the decline in mark up of raw materials, i.e., cyclohexylamine.
- s. The Authority can also consider the post-POI data to evaluate the injury parameters.
- t. Post-POI data has also been considered by the Authority in investigations concerning 'Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin', 'Styrene Butadiene Rubber and Resin' or 'other organic substances bonded wood'.
- u. Post-POI data will establish the following: -

- i. The market share of the domestic industry is only 24%, while imports command three-fourths of the market.
 - ii. Price of the imports has declined further, adding to the strain on prices of the domestic industry.
 - iii. The recent orders placed by customers on the domestic industry indicate that the prices agreed in the post-POI transactions are much lower than the price during the POI, and consequently, the loss is much higher.
 - iv. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in terms of profits, cash profits and return on investment.
 - v. Despite the ample demand of the product under consideration in India, the domestic industry is not able to make sufficient number of sales in India. The domestic industry's export sales are significantly high since the export markets are more attractive than the Indian market.
- v. The applicant is among the largest global manufacturers of several drugs produced by it, including the product under consideration. The applicant is new in the product, and is not new in the industry.
- w. The applicant deals in high-quality products, as a result of which, it is engaged in business with well-known Indian and global customers, and has supplied the product under consideration to its existing customers.
- x. The adverse performance of the domestic industry is not on account of any inefficiencies or start-up costs. This is evident from the fact that the plant would have been sufficiently profitable if the import prices prevailing earlier had sustained.
- y. The imposition of the duty in the present investigation is in the interest of the public due to the following reasons:
- i. It would provide a level playing field for the newly established domestic producer to become viable and competitive;
 - ii. It would reduce the cost of the product under consideration to the consumer as the imports would now not be priced exorbitantly; and
 - iii. It would ensure that there is a stable domestic producer of the product.
- z. If the domestic industry's production of the product under consideration is unviable at a nascent stage, it may be compelled to shut down its plant.
- aa. The applicant has recently set up capacities in India by investing a large sum of money. Therefore, there is a need to protect the investments made by the Applicant.
- bb. Before the domestic industry commenced production, the exporters had intentionally charged exorbitant prices for the subject goods because of the lack of competition in India.
- cc. The applicant is a company that adopts environmentally friendly production processes, and has due regard to sustainable development. Therefore, the imposition of the duty would be in the interest of the public at large.
- dd. The domestic industry is the sole producer of the product under consideration in India, and if the situation of dumping persists, it would be constrained to close its operations. In case of shut down of the Applicant's plant, the consumers in India would be entirely dependent on the exporters.
- ee. The domestic industry has the capacity to cater to a substantial portion of the demand in India, which would advance India's interest of becoming self-sufficient.
- ff. The exporters have not produced any evidence to indicate that the duty would have an adverse impact on the users.

- gg. The impact of the duty on the downstream product is miniscule since the subject good is not a key raw material and does not constitute a major proportion of the cost of the finished goods.
- hh. The imposition of duty would contribute towards reducing India's trade deficit.
- ii. Since the subject good is being imported from China PR, the domestic industry is essentially competing with an industry that does not operate under market economy conditions.
- jj. The Government of China PR provides significant support to its industry.
- kk. There are certain inconsistencies in the data related to total profits/loss, cash profits and PBIT considered by the Authority in the Disclosure Statement.

O.1 Examination by the Authority

105. The Authority notes that most of the submissions made by the domestic industry in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the domestic industry has largely reiterated earlier submissions. Further, the other interested parties have not even responded to the disclosure statement issued by the Authority. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry below to the extent found relevant and not addressed elsewhere.
106. The Authority notes that the present case is one for material retardation of the establishment of an industry and not of material injury. As noted above, for the purpose of material retardation investigations, the Authority must first conclude that the industry is not already in existence, or that the industry has recently been established and is yet to find its place in the market. The Authority has examined the certain factors relevant to determining whether or not the domestic industry is an unestablished industry in paragraphs 59 to 66 above. However, subsequent to the issuance of the disclosure statement, the domestic industry has made post-disclosure comments, whereby it has indicated that the decline in its performance is not due to start-up costs.
107. The present case is one for material retardation of the establishment of an industry and not of material injury. As noted above, for the purpose of material retardation investigations, the Authority must first conclude that the industry is not already in existence, or that the industry has recently been established and is yet to find its place in the market. The Authority notes that the applicant is undisputedly an existing and established company, engaging in the production and sale of a number of other products, which are not the subject matter of the present investigation. However, it is very important to note that in relation to the product under consideration, the applicant is a new entrant in the market. Furthermore, there is no dispute that as far as the product under consideration is concerned, the applicant company is the sole and new producer of the same in the country. As noted by the WTO Panel in Morocco – Anti-Dumping (Turkey) that what is important is not merely the introduction of a new product line itself, but rather the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry. The WTO Panel has made it clear that even if an applicant has been in existence and produces other products, the Authority must still focus on the 'degree of overlap' in use of overall infrastructure. The Authority notes that the applicant has set up a new automated plant in its premises for the production of the product under consideration. The details of the plant and machinery that is set up is given in the project report of the applicant. The Authority notes that since a new plant is being set up to manufacture the product under consideration, the domestic industry would not be making utilization of its existing infrastructure to manufacture the product under consideration. Furthermore, the Authority notes that the raw materials and the production process used in the manufacture of the product under consideration is entirely different from its other products, thereby reducing any overlaps with existing infrastructure.
108. The Authority has examined four factors (overlap of existing facilities, time of establishment, size of the industry and stability of production) which are relevant for determining whether the industry has been established. In terms of overlap of existing infrastructure, the Authority has already concluded that there is no overlap between the production of the PUC and the existing infrastructure of the applicant. As far as the production and sale of the product under consideration is concerned, the same is undisputedly a new product, with no past history of production in India. The manufacturing plant of the PUC was set up in November, 2019 but commercial production

commenced only in January, 2020, the domestic industry has been in existence for a very short period of time and, therefore, it cannot be considered to be an existing industry on this parameter. Furthermore, the size of the applicant's production of the subject goods is currently very small, and the production of the PUC is not stable at present. Therefore, as per all four parameters which are relevant for examining whether or not the industry is in existence, the Authority concludes that the industry is not an established industry.

109. The Authority also considers that that as per the Anti-Dumping Agreement as well as the Customs Tariff (Anti-Dumping) Rules, the definition of the 'domestic industry' is in relation to the 'like article'. The 'domestic industry' has been defined as '...the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article...'. Therefore, it is clear that the injury in the form of material retardation must be established in relation to the 'product under consideration' or the 'like article'. From a conjoint reading of the above definition along with the decision of the WTO Panel, the Authority notes that the rules require that the effect of the dumped imports should be assessed in relation to the domestic production of the like article. Thus, material retardation to establishment of the domestic industry is required to be examined with reference to the product and not with reference to the applicant as a whole. It is quite possible that the company is already well-established in the production of non-subject goods. What is however relevant is whether the industry with reference to the product under consideration is well established. The establishment of the industry with reference to PUC is required to be seen considering the length of operations of the company concerning the production and sale of the product in the country. Thus, as far as the domestic industry for the production of the subject good is concerned, this no dispute that the Applicant is the only producer in the country and has been in existence for a very short period of time. The Authority, therefore, concludes that on all parameters examined above, the Applicant is not an existing industry for the production of the product under consideration.
110. The statements made by the domestic industry regarding its business with some of the largest domestic and global players in the pharmaceutical industry suggests that the applicant is well established in the production of other products in the pharmaceutical market which are not under investigation. However, as far as product under consideration is concerned, despite these past credentials of the domestic industry, it is not able to sell even to the extent of its production. Further, the domestic industry has not been able to produce and sell despite existence of sufficient production capacities with it and its established position in the pharmaceutical sector. The above statements make it clear that despite being well established company in business in the pharmaceutical market for over a period of 17 years, the domestic industry has not been able to produce and sell profitably a new product developed. The applicant could, benefit from its existing presence in the pharmaceutical market. However, it is still suffering injury. This indicates the injurious effects of the dumped imports. In fact, the level of protection determined for the domestic industry is considering its level of operations and had the company being a new company at new location and without any other past history of production, the level of protection determined could have been higher, considering that the NIP of such a company could have been higher than determined at present.
111. Apart from the subject goods, the domestic industry also manufactures several other products. Furthermore, the production of the product under consideration is taking place in a new plant established by the domestic industry within its existing premises. The domestic industry has two manufacturing units in Kurkumbh MIDC and produces several products. Therefore, the non-injurious price determined must be lower than what it might have been in case of a stand-alone company and production plant. In the light of these factors, the Authority holds that although the applicant is an already existing company, it has commenced production of a new product which was not earlier produced in the country, and whose establishment is being retarded by the dumping of the product in the country.
112. It could be contended that the performance of the domestic industry is positive in certain parameters like levels of production, negative price undercutting and absence of price depression. It is, however, seen that the performance of the domestic industry is much adverse as compared to what it could have been in the absence of dumping in the country. The domestic industry could have sold to the extent of its production, would not have faced piling up of inventories and would have been able to earn profit, cash profit and positive return on investments.

P. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS & OTHER ISSUES

P.1 Views of the other interested parties

113. The petitioner will not be able to meet the domestic demand. In case of the imposition of the duty, the petitioner can easily manipulate the price and can create monopoly in the market. This will adversely affect the downstream industry which is against the public interest. The duty will have negative impact on several user industries, which form part of MSME and SME sector.

P.2 Views of the domestic industry

114. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- a. Before the commencement of the production by the domestic industry, there was a monopoly of exporters in the domestic market. They charged higher prices for the product. As soon as the domestic producer entered the market, the exporters reduced the price of the subject goods with clear intent to prevent the domestic industry from gaining a foothold in the market and to force the domestic industry to shut down its operation. In the absence of the duties, the domestic industry will be forced to shut down its operation and the consumer will have to buy the subject goods from the producers in the subject country.
- b. The imposition of duty on the subject goods is in public interest. The duty would allow the domestic industry to find a place and establish itself in the market. If the domestic industry now leaves the market, the consumers would solely depend upon the subject imports. The prices would not be fair and competitive. The exporter might sell the subject imports at a higher rate.
- c. The domestic industry is newly established in the domestic market for the PUC. If they are not able to compete in the market due to the dumped imports, they would have no option but to shut down their operation.
- d. The domestic industry has sufficient capacity to fulfil the entire domestic demand in the country. The imposition of duties will promote Aatmanirbar Bharat Mission.
- e. There is no evidence that in case of imposition of duties, it would adversely affect the users of the product under consideration.
- f. The product is consumed by major pharmaceutical industries. Therefore, the user industry does not constitute producers in the MSME sector.

P.3 Examination by the Authority

115. As per the data available on record, the domestic industry has enough capacity to cater to the entire demand in India. The product is used in pharmaceutical sector. There is no evidence on record that the consumers comprise only the MSME industry. In any case, the price of the product was higher in India before the commencement of commercial production in India. Further, even if there is demand-supply gap in the country, the same does not justify dumping of the product in the country by foreign producers. The imports can always occur at reasonable and fair prices. The proposed duty shall not restrict the imports. The cost of the product is not a major cost in the production of the downstream products.
116. The Authority considers that the imposition of the anti-dumping duties will create fair competition in the Indian market. The imposition of the proposed measure would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, allow the domestic industry to establish in the market, prevent its decline and help maintain availability of the subject goods to the consumers. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping, so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interests of the country. Imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

Q. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

117. Having regard to the contentions raised, the information provided, the submissions made and the facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is positive and significant.
 - b. The dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India. The examination of the subject imports and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the subject imports in absolute and relative terms has remained high even after commencement of the commercial production in India. The imports are priced below the target prices of the domestic industry leading to price suppression. At current prices, the domestic industry will not be able to achieve its target performance. The domestic industry has not been able to produce the product to the extent it could have produced. Further, despite significant demand for the product in the country, the domestic industry has not been able to sell even to the limited extent it has produced, and has been faced with significant inventories. The domestic industry is suffering significant financial losses and negative return on investment.
 - c. The material retardation to the establishment of the domestic industry in India is due to the subject dumped imports.
 - d. The information on record shows that the non-imposition of the anti-dumping duty will adversely and materially impact the indigenous production, while imposition of the anti-dumping duty will not materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large.
 - e. On the basis of the information provided by the interested party and the investigation conducted, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty will not be against the public interest.
118. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporter, the importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
119. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990, 29419090	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	China PR	Any country including China PR	Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Company Limited	493.73	MT	USD
2.	- do -	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	China PR	Any country including China PR	Any other than that mentioned at SN 1.	826.75	MT	USD
3.	- do -	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	Any country other than China PR	China PR	Any	826.75	MT	USD

**Also known as DCC, Dicyclohexylcarbodiimide, 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide*

R. FURTHER PROCEDURE

120. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority

SZ